



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

डीओआर.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.177/2021-22

24 सितंबर 2021
(05 दिसंबर 2022 को अद्यतन)

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021

परिचय

प्रतिभूतिकरण में ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जहां आस्तियों में ऋण जोखिम को विभिन्न जोखिम प्रोफाइल के साथ व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में रीपैकेज करके पुनर्वितरित किया जाता है, जो विभिन्न वर्गों के निवेशकों को एक्सपोजर का एक्सेस प्रदान करता है, जिसे वे अन्यथा सीधे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं। एक ओर जहां, जटिल और अपारदर्शी प्रतिभूतिकरण संरचनाएं वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से अवांछनीय हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर विवेकपूर्ण रूप से संरचित प्रतिभूतिकरण लेनदेन, सुचारु रूप से कार्य करने वाले वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान कर सकती है; जिसमें यह नए ऋण एक्सपोजर के उद्भव में उधारदाताओं के जोखिम वितरण और चलनिधि में सुधार करता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 ए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का अध्याय III बी और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30 ए, 32 और 33, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक और समीचीन है, तदुपरान्त, यह निदेश जारी करता है।

लघु शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अध्याय I: कार्यक्षेत्र और परिभाषाएं

ए प्रयोज्यता और उद्देश्य

3. इन निदेशों के प्रावधान निम्नलिखित संस्थाओं (सामूहिक रूप से इस निदेश में उधारदाताओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर लागू होंगे, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया जाए:

(ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);

(बी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्विम बैंक और सिडबी);

(सी) लघु वित्त बैंक ([6 अक्टूबर, 2016 को लघु वित्त बैंकों के लिए](#) जारी और समय-समय पर यथासंशोधित परिचालन दिशानिर्देशों के तहत दी गई अनुमति के अनुसार); और,

(डी) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)।

4. इस निदेश के जारी होने के बाद संपादित प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर ये निदेश लागू होंगे।

बी परिभाषाएँ

5. इन निदेशों के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

ए) "दिवालियापन दूरस्थ" का अर्थ है किसी इकाई का ऑरिजनैटर या ऑरिजनैटरों के उधारदाताओं सहित स्वैच्छिक या अनैच्छिक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन न होने की संभावना ;

बी) "खंड" का अर्थ है इन निदेशों का कोई खंड, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो;

सी) "क्लीन-अप कॉल" का अर्थ है एक ऐसा विकल्प जो अंतर्निहित एक्सपोजर का बकाया मूल्य पूर्व-परिभाषित सीमा से नीचे चले जाने की स्थिति में ऑरिजनैटर को अंतर्निहित एक्सपोजर या प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को क्रय करने की अनुमति देता है, जिससे सभी पक्षों के शेष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को समाप्त कर दिया जाता है;

डी) "ऋण संवर्धन का अर्थ है एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें एक इकाई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से जुड़े ऋण जोखिम को कम करती है और इससे लेनदेन के लिए अन्य पक्षों को कुछ हद तक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है ताकि उनके प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण जोखिम को कम किया जा सके;

ई) "शीघ्र (अर्ली) परिशोधन प्रावधान" का अर्थ है एक ऐसी प्रणाली जो लागू होने के बाद, प्रतिभूतिकरण संरचना के अंतर्निहित एक्सपोजर में निवेशक के हित में कमी को तेज करता है और निवेशकों को जारी प्रतिभूतिकरण नोटों की मूल परिपक्वता अवधि से पहले भुगतान करने की सुविधा देता है;

एफ़) "अतिरिक्त स्प्रेड (या भविष्यगत मार्जिन आय)" का अर्थ है सकल वित्त शुल्क संग्रह और विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीई) द्वारा प्राप्त अन्य आय एवं प्रतिभूतिकरण नोट ब्याज, सेवा शुल्क, माफ शुल्क तथा अन्य बड़े एसपीई व्यय के बीच अंतर।

जी) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की "एक्सपोजर राशि" का अर्थ है एक्सपोजर की तुलन पत्र राशि अथवा परिचालन मूल्य - जो इस प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर उधारदाता द्वारा ली गई क्रय छूट और अवलिखित/ विशिष्ट प्रावधानों - और जहां लागू हो तुलन पत्र से इतर की एक्सपोजर राशि सहित हो का योग।

एच) "प्रथम हानि सुविधा" का अर्थ है एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों की साख में सुधार करने के लिए ऑरिजनैटर या किसी तीसरे पक्षकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी वित्तीय सहायता का प्रथम स्तर जिसमें सुविधा प्रदाता एसपीई द्वारा धारित आस्तियों से जुड़े कुछ या सभी जोखिमों को वहन करता है;

आई) "अंतर्निहित समर्थन" का अर्थ है उधारदाता द्वारा अपने पूर्व निर्धारित संविदात्मक दायित्व से अधिक प्रतिभूतिकरण को सहायता प्रदान कर दी जाने वाली सुरक्षा;

जे) "ब्याज मात्र शृंखला (I/O)" ऑरिजनैटर की तुलन पत्र वाली ऐसी आस्तियां जो भविष्य की मार्जिन आय से संबंधित नकदी प्रवाह के मूल्यनिर्धारण को दर्शाता है;

बशर्ते कि यदि ब्याज-मात्र शृंखला को गौण रखा जाता है, तो यह ऋण संवर्धन के प्रयोजन को पूरा करेगा और इसे ऋण संवर्धन वाले ब्याज-मात्र शृंखला के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

के) "बंधक समर्थित प्रतिभूतियों" का अर्थ है अंतर्निहित एक्सपोजर के बदले विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा जारी ऐसे प्रतिभूतिकरण नोट्स, जो सभी वाणिज्यिक या आवासीय अचल आस्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं;

एल) "ऑरिजनैटर" का तात्पर्य एक ऐसे उधारदाता से है, जो अपने तुलन पत्र से एक एकल आस्ति या आस्तियों के एक समूह को प्रतिभूतिकरण लेनदेन के एक भाग के रूप में एसपीई में स्थानांतरित करता है और इसमें उधारदाता से संबन्धित समेकित समूह की अन्य संस्थाएं भी शामिल होंगी;

स्पष्टीकरण: ऑरिजनैटर केवल वही उधारदाता नहीं हो सकता है जिसने शुरू में प्रतिभूतिकरण लेनदेन में अंतर्निहित एक या अधिक एक्सपोजर को मंजूरी दी थी क्योंकि उधारदाताओं से खरीदे गए ऋण को प्रतिभूतिकरण के उद्देश्य से एसपीई को भी बेचा जा सकता है।

एम) "अतिसंपार्श्विकीकरण" का अर्थ है किसी भी ऐसे प्रकार का ऋण संवर्धन जिसके आधार पर अंतर्निहित एक्सपोजर, मूल्य में प्रतिभूतिकरण नोटों के मूल्य से अधिक है;

एन) "पुनःपूर्ति" का अर्थ है योजना की सूची के अनुसार अग्रिम रूप से प्रकट किए अनुसार अधिक आस्तियों की प्राप्ति के लिए प्रतिभूतिकृत आस्तियों से नकदी प्रवाह का उपयोग करने की प्रक्रिया, जो पूर्व-घोषित पुनःपूर्ति अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके पश्चात प्रतिभूतिकरण संरचना परिशोधित श्रेणी में परिणत हो जाएगी;

बशर्ते कि पुनःपूर्ति अवधि के दौरान खरीदी गई आस्तियों को योजना के अनुसार पहले से जारी प्रतिभूतिकरण नोटों में अंतर्निहित आस्तियों के उसी ऑरिजनैटर (रों) से खरीदा जाए।

ओ) "आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (आरएमबीएस)" का अर्थ है आवासीय बंधक द्वारा प्रतिभूतित अंतर्निहित एक्सपोजर के बदले विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोट्स;

पी) "पुनः-प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर" का अर्थ है एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जहां अंतर्निहित एक्सपोजर में से कम से कम एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर है;

क्यू) इन निदेशों के उद्देश्य से "मानक आस्तियों" से तात्पर्य है, ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;

आर) "द्वितीय हानि सुविधा" का अर्थ है वित्तीय सहायता का द्वितीय स्तर, जो प्रथम हानि की सुविधा द्वारा कवर नहीं किए गए बड़े हानि के बदले विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों को सुरक्षा का दूसरा (या बाद में) स्तर प्रदान करता है, और इसे तभी आरंभ किया जाता है जब पहली हानि सुविधा लागू की गई हो और अस्वीकार की गई हो या समाप्त हो गई हो या प्रथम हानि प्रदाता दिवाला या दिवालियापन या परिसमापन के तहत हो;

एस) "प्रतिभूतिकरण" का अर्थ है एक ऐसी संरचना जहां आस्तियों के एक समूह को ऑरिजनैटर द्वारा एसपीई को स्थानांतरित किया जाता है और आस्तियों के इस समूह से नकदी प्रवाह का उपयोग ऋण जोखिम के विभिन्न श्रेणियों को दर्शाती कम से कम दो अलग-अलग ट्रांच के प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को पाटने के लिए किया जाता है, जहां निवेशकों को भुगतान की प्राप्ति के लिए ऑरिजनैटर के दायित्व से प्राप्त होने के विपरीत निर्दिष्ट अंतर्निहित एक्सपोजर के प्रदर्शन पर निर्भर होना होता है;

बशर्ते कि एक ही आस्ति वाले समूह को प्रतिभूतिकृत करने के लिए पात्र होने की भी अनुमति है।

बशर्ते यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रतिभूतिकरण संरचना में विभिन्न परिपक्वताओं वाली ट्रांच हो सकती हैं।

टी) "प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर" में शामिल हैं, लेकिन आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों, ऋण संवर्धन, हामीदारी प्रतिबद्धताओं, चलनिधि सुविधाओं, ब्याज दर या मुद्रा स्वैप, ऋण व्युत्पन्नी (क्रेडिट डेरिवेटिव) और ट्रांच गत कवर सहित विशेष उद्देश्य इकाई द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के एक्सपोजर तक सीमित नहीं हैं;

स्पष्टीकरण: नकद जमानत खातों जैसे आरक्षित खाते, जो प्रतिभूतिकरण से होने वाले ऋण नुकसान को अवशोषित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं और ऑरिजनैटर द्वारा एक आस्ति के रूप में दर्ज किए जाते हैं, को भी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के रूप में माना जाना चाहिए।

यू) "प्रतिभूतिकरण नोट्स" का अर्थ है प्रतिभूतिकरण के एक भाग के रूप में विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियां;

वी) "वरिष्ठ ट्रांच" का अर्थ है वह ट्रांच जो अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत समूह में आस्तियों की पूरी राशि पर पहले दावे द्वारा प्रभावी रूप से समर्थित या सुरक्षित है;

बशर्ते कि जहां प्रथम हानि के भाग से ऊपर सभी ट्रांच रेटेड हैं, सबसे उच्च रेटेड वाली स्थिति (पज़िशन) को वरिष्ठ ट्रांच के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि जब एक ही रेटिंग वाली कई ट्रांचें होंगी, तो केवल नकदी प्रवाह में सबसे वरिष्ठ ट्रांच को वरिष्ठ माना जाएगा (जब तक कि उनके बीच एकमात्र अंतर प्रभावी परिपक्वता हो)।

बशर्ते कि जब कई वरिष्ठ ट्रांचों की विभिन्न रेटिंग केवल परिपक्वता में अंतर से उत्पन्न है, तो इन सभी ट्रांचों को वरिष्ठ ट्रांच के रूप में माना जाना चाहिए।

डबल्यू) "विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीई) का अर्थ है एक कंपनी, न्यास या अन्य इकाई जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित की जाती है, जिसकी गतिविधियां एसपीई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त लोगों तक सीमित हैं, और जिसकी संरचना का उद्देश्य एसपीई को ऑरिजनैटर के ऋण जोखिम से अलग करना है;

स्पष्टीकरण: इन निदेशों में एसपीई का कोई संदर्भ प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एसपीई द्वारा तय या घोषित न्यास का भी उल्लेख करेगा।

एक्स) "अधीनस्थ ट्रांच" का अर्थ है कोई ऐसा ट्रांच जो वरिष्ठ ट्रांच (ट्रांचों) के लिए कनिष्ठ है;

वाई) "सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण" का अर्थ है एक संरचना जहां एक्सपोजर के अंतर्निहित समूह का ऋण जोखिम पूर्णतः अथवा अंशतः ऋणव्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) या ऋण गारंटी के उपयोग के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है; जो उधारदाता के तुलनपत्र वाले पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम का बचाव (हेज) करता है;

स्पष्टीकरण: उपरोक्त परिभाषा में वर्तमान विनियामकीय निदेशों के अंतर्गत हेजिंग के लिए उधारदाताओं को अनुमत लिखतों का उपयोग शामिल नहीं है।

ज़ेड) "ट्रांच" का अर्थ है एक एक्सपोजर या एक्सपोजर के एक समूह से जुड़े ऋण जोखिम का एक संविदात्मक रूप से स्थापित खंड, जहां किसी खंड में एक स्थिति (पज़िशन) को सीधे खंड में स्थिति(पज़िशन) के धारकों को या अन्य खंडों में तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई ऋण सुरक्षा को शामिल किए बिना किसी अन्य खंड में एक ही राशि की स्थिति से अधिक या उससे कम ऋण हानि का जोखिम को स्थानांतरित की जाती है,

स्पष्टीकरण: एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोट्स और उपलब्ध ऋण संवर्धन सुविधाओं को ट्रांच के रूप में माना जाएगा।

एए) "ट्रांच परिपक्वता" का अर्थ है कि वर्षों में ट्रांच की प्रभावी परिपक्वता, और इसका मापन इन निदेशों के अध्याय VI की धारा ई में निर्धारित अनुसार होती है;

एबी) "ट्रांच थीकनेस" का अर्थ है अलगाव बिंदु (डीटैचमेंट पाइंट) (डी) में संपर्क बिंदु (अटैचमेंट पाइंट) (ए) को घटाकर प्राप्त माप, जहां डी और ए की गणना इन निदेशों के अध्याय VI के खंड डी के अनुसार की जाती है;

अध्याय II: प्रतिभूतिकरण के लिए सामान्य आवश्यकताएं

ए. प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र आस्तियां

6. भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं सहित, उधारदाता प्रतिभूतिकरण गतिविधियां संपादित नहीं करेंगे या नीचे उल्लिखित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को नहीं मानेंगे:

ए. पुनः-प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर;

बी. ऐसी संरचनाएं जिनमें वाणिज्यिक पेपर जैसे अल्पकालिक लिखत, जो समय-समय पर रोल ओवर किया जाता है, एक एसपीई द्वारा धारित दीर्घकालिक आस्तियों के बदले जारी किए जाते हैं

सी. सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण; और

डी. ¹अंतर्निहित के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों के साथ प्रतिभूतिकरण:

- i. अंतर्निहित के रूप में परिक्रामी ऋण सुविधाएं - इनमें ऐसे अंतर्निहित एक्सपोजर शामिल हैं जहां उधारकर्ता को एक ऋण व्यवस्था के अंतर्गत एक सहमत सीमा के भीतर आहरित राशि और पुनर्भुगतान को अलग-अलग करने की अनुमति है (जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां और नकद ऋण सुविधाएं);
- ii. ऐसे पुनर्गठित ऋण और अग्रिम जो निर्दिष्ट अवधि में हैं;
- iii. अन्य ऋण संस्थानों में एक्सपोजर;
- iv. एआईएफआई के पुनर्वित्त एक्सपोजर; और
- v. अंतर्निहित के रूप में मूलधन और ब्याज दोनों के बुलेट भुगतान वाले ऋण;
- vi. 365 दिनों से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले ऋण;

बशर्ते कि कृषि गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को 24 महीने तक के ऋण (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2020 के अध्याय III में वर्णित है, जहां ब्याज और मूलधन दोनों केवल परिपक्वता और व्यापार प्राप्तियों पर देय हैं, जिसमें 12 महीने तक की छूट उनके उधारकर्ताओं से उधारदाताओं द्वारा खरीदे गए 12 महीने तक की छूट खरीद की गई है। तथापि, केवल वे ऋण/प्राप्तियां प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगी जहां किसी उधारकर्ता (कृषि ऋणों के मामले में)/ बिल के आहरण (व्यापार प्राप्तियों के मामले में) ने पिछले दो ऋणों/प्राप्तियों (कृषि ऋणों के मामले में एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के मामले में एक ऋण) की पूरी राशि को उचित तिथि के 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से चुका दिया है। यदि ऐसी आस्तियों को प्रतिभूतिकृत किया जाता है, तो उनके बदले जारी प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशकों को उपरोक्त आवश्यकता के साथ अंतर्निहित आस्ति के अनुपालन को सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा धारित एक्सपोजर की प्रतिभूतिकरण विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके तहत नियमों या विनियमों सहित मौजूदा कानूनी/विनियामकीय ढांचे के किसी भी प्रावधान/नों का उल्लंघन नहीं करेगा।
8. उपर्युक्त के अधीन, ऑरिजनैटर्स के तुलन पत्र वाले अन्य सभी एक्सपोजर, जो ऋण और अग्रिमों की प्रकृति में हैं और मानक के रूप में वर्गीकृत हैं, प्रतिभूतिकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों के रूप में पात्र हैं।

9. ऐसे एक्सपोजर के ऑरिजनैटर्स ने उपरोक्त खंड पर परंतुक सहित [भारतीय रिज़र्व बैंक \(ऋण एक्सपोजर का अंतरण\) निदेश, 2021](#) के खंड 39 के अनुसार न्यूनतम धारण अवधि की आवश्यकता को संतुष्ट किया होगा।

बशर्ते कि वाणिज्यिक या आवासीय अचल संपत्ति बंधक के लिए, एमएचपी की गणना ऋण के पूर्ण संवितरण की तारीख से, या सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरैस्ट ऑफ़ इंडिया (सरसई) के साथ प्रतिभूति हित (सिक्योरिटी इंटरैस्ट) के पंजीकरण की तारीख, जो भी बाद में हो से की जाएगी।

10. एमएचपी प्रतिभूतिकृत ऋणों के अंतर्निहित समूह में व्यक्तिगत ऋणों पर लागू होगा। एमएचपी खंड 6 के परंतुक में संदर्भित ऋणों पर लागू नहीं होगा।
11. इन निदेशों के अनुसरण में किए गए लेन-देन अंतर्निहित बाध्यताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ऑरिजनैटर और सेवा प्रदाता एजेंट के बीच संपादित संविदा में सक्षमकारी खंडों और जहां आवश्यक हो, संबंधित संविदा के अनुसार, उपकृत पक्षकारों (तीसरे पक्ष सहित) से सभी आवश्यक सहमति की प्राप्ति को शामिल किया जाना चाहिए।

बी. न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर)

12. एमआरआर को प्राथमिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि ऑरिजनैटर्स की प्रतिभूतिकृत आस्तियों के प्रदर्शन में निरंतर हिस्सेदारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिभूतिकृत किए जाने वाले ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते हैं। ऑरिजनैटर्स को, आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने वाले ऋणों का प्रतिभूतिकरण करते समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एमआरआर का पालन करना चाहिए:

ए. 24 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अंतर्निहित ऋणों के लिए, एमआरआर प्रतिभूतिकृत किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य का 5% होगा।

¹ हस्तांतरणकर्ता केवल न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) के बाद ऋण स्थानांतरित कर सकता है, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, जिसे अंतर्निहित प्रतिभूति हित के पंजीकरण की तारीख से गिना जाता है:

ए) 2 साल तक की अवधि वाले ऋणों के मामले में तीन महीने;

बी) 2 साल से अधिक की अवधि वाले ऋण के मामले में छह महीने।

बशर्ते कि ऐसे ऋण के मामले में जहां प्रतिभूति मौजूद नहीं है या प्रतिभूति पंजीकृत नहीं की जा सकती है, एमएचपी की गणना ऋण के पहले पुनर्भुगतान की तारीख से की जाएगी।

यह भी प्रावधान किया गया है कि परियोजना ऋणों के हस्तांतरण के मामले में, एमएचपी की गणना परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के शुरू होने की तारीख से की जाएगी।

यह भी प्रावधान किया कि किसी हस्तांतरणकर्ता द्वारा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के मामले में, ऐसे ऋणों को उस तारीख से छह महीने पूरा होने से पहले स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जिस पर ऋण हस्तांतरणकर्ता की बही में लिया गया था।

बी. 24 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले अंतर्निहित ऋणों के साथ-साथ एकबारगी पुनर्भुगतान वाले ऋणों के लिए, जैसा कि खंड 6 के परंतुक में उल्लेख किया गया है, एमआरआर प्रतिभूतिकृत किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य का 10% होगा।

13. आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के मामले में, ऑरिजनैटर के लिए एमआरआर प्रतिभूतिकृत किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य का 5% होगा, चाहे मूल परिपक्वता कुछ भी हो।
14. एमआरआर को ऑरिजनैटर द्वारा निम्नानुसार रखा जाएगा:
 - ए. प्रतिभूतिकृत किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत तक:
 - प्रथम हानि सुविधा, यदि उपलब्ध हो;
 - यदि प्रथम हानि सुविधा उपलब्ध नहीं है, या जहां संपूर्ण प्रथम हानि सुविधा का प्रतिधारण 5 प्रतिशत से कम है, तो इक्विटी ट्रांच के प्रतिधारण के माध्यम से शेष राशि;
 - जहां संपूर्ण प्रथम हानि सुविधा, यदि उपलब्ध हो, और इक्विटी ट्रांच का प्रतिधारण 5 प्रतिशत से कम है, तो बचे हुए ट्रांच में शेष समगति, निवेशकों को बेची जाती है।
 - बी. प्रतिभूतिकृत किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक:
 - प्रथम हानि की सुविधा, या इक्विटी ट्रांच या निवेशकों को बेची गई कोई अन्य ट्रांच, उसके किसी भी संयोजन में।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए प्रथम हानि सुविधा में उपलब्ध अतिसंपार्श्विकीकरण, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।
15. ब्याज मात्र शृंखला में निवेश, जो अतिरिक्त ब्याज स्ट्रेड/भविष्य मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह अधीनस्थ हो या नहीं, को एमआरआर में नहीं गिना जाएगा।
16. एमआरआर को ऋण जोखिम की हेजिंग या प्रतिधारित ब्याज को बेचने या ऋण- भारग्रस्तता के माध्यम से कम नहीं किया जाना चाहिए। एमआरआर को मूल उधारदाता द्वारा ही बनाए रखा जाना है, न कि इसकी किसी समूह संस्था द्वारा। प्रतिभूतिकरण अवधि के दौरान एमआरआर का रूप नहीं बदलना चाहिए। चुकौती के कारण या नुकसान के अवशोषण के माध्यम से बनाए गए एक्सपोजर को कम करने के अलावा, एमआरआर को असंशोधित मूलधन के प्रतिशत के रूप में निरंतर आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से, पुनःपूर्ति अवधि की विशेषता वाले प्रतिभूतिकरण के मामलों में, एमआरआर को न केवल प्रतिभूतिकरण की शुरुआत में बल्कि पुनःपूर्ति अवधि के अंत में भी बनाए रखा जाना चाहिए।
17. इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर का अनुपालन करने के लिए उधारदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधि अनुसार उचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

सी. ऑरिजिनेशन मानक

18. प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के लिए हामीदारी मानक ऑरिजनैटर के तुलन पत्र में उल्लिखित एक्सपोजर पर लागू होने वाले मानकों से कम कठोर नहीं होने चाहिए। जहां ऋण की ऑरिजिनेशन के बीच हामीदारी मानकों में परिवर्तन होता है और जब तक प्रतिभूतिकृत नोट से जुड़े सभी दावों का भुगतान नहीं हो जाता है, तो ऑरिजनैटर को ऐसे परिवर्तनों के समय और उद्देश्य के बारे में प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर वाली संस्थाओं को बताना चाहिए।

19. अन्य उधारदाताओं से ऑरिजनैटर द्वारा खरीदे गए एक्सपोजर के प्रतिभूतिकरण के मामलों में, हामीदारी मानकों के लिए लागू आवश्यकताएं ऑरिजनैटर द्वारा अपनाई गई समुचित सावधानी प्रक्रिया के मानकों पर लागू होंगी जिसमें उधारदाता की ऋण ऑरिजिनेशन प्रक्रिया की पर्याप्तता और निरंतरता का सत्यापन शामिल हो सकता है, जिनके एक्सपोजर को ऑरिजनैटर द्वारा खरीदा गया था।

डी. भुगतान प्राथमिकताएं और पालनीयता (अब्ज़र्वबलिटी)

20. प्रतिभूतिकरण अवधि के दौरान निवेशकों को अप्रत्याशित पुनर्भुगतान प्रोफाइल के अधीन होने से रोकने के लिए, सभी परिस्थितियों में सभी देनदारियों के भुगतान की प्राथमिकताओं को प्रतिभूतिकरण के समय स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उनकी प्रवर्तनीयता के संबंध में उचित कानूनी आश्वासन प्रदान की जानी चाहिए।
21. निवेशकों को निवेशक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस जानकारी के साथ कि नोट धारकों को अपेक्षित नकदी प्रवाह के संबंध में उल्लंघन की स्थिति की पहचान करने, उल्लंघन को रोकने की क्षमता और उल्लंघन के परिणाम संबंधी विवरण के साथ-साथ नकदी प्रवाह शृंखला, प्रतिभूतिकरण को प्रभावित कर सकने वाला भुगतान प्रोफाइल या भुगतान प्राथमिकता में किसी भी परिवर्तन पर पूरी पारदर्शिता के साथ निवेशकों को मदद करने के लिए, नकदी प्रवाह शृंखला, भुगतान प्रोफाइल या प्रतिभूतिकरण के भुगतान की प्राथमिकता को प्रभावित करने वाले सभी ट्रिगर स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से प्रस्ताव दस्तावेजों में और निवेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए।
22. प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्निहित ऋणों के प्रदर्शन से जुड़ी रूपरेखा और चेतावनी से संबंधित परिभाषाओं, नीतियों और उपायों को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के अधिकारों और नियंत्रण को सभी परिस्थितियों, जिसमें प्रतिभूतिकरण में शामिल सभी संस्थाओं का दिवालियेपन, जैसे ऑरिजनैटर एसपीई आदि शामिल हैं, के लिए, ध्यान में रखना चाहिए। कानूनी और वित्तीय जोखिम कारकों के बारे में पूर्ण प्रकटीकरण और सहायक दस्तावेज संभावित और मौजूदा निवेशकों को उचित समयावधि के भीतर, चालू या मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
23. पुनःपूर्ति अवधि की विशेषता वाले प्रतिभूतिकरणों में उचित प्रारंभिक परिशोधन घटनाओं के लिए प्रावधान और/या पुनःपूर्ति अवधि की समाप्ति की शुरुआत, विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
- ए. अंतर्निहित एक्सपोजर की ऋण गुणवत्ता में गिरावट;
 - बी. समान ऋण गुणवत्ता के पर्याप्त नए अंतर्निहित एक्सपोजर प्राप्त करने में विफलता; और
 - सी. ऑरिजनैटर (रों) के संबंध में दिवालियेपन से संबंधित घटना का होना।
24. इस ढांचे में संबद्ध संस्थागत हितधारकों (ऑरिजनैटर, एसपीई, सेवा प्रदाता एजेंट, ऋण संवर्धन प्रदाता और अन्य) की गैर-निषिद्ध कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप किसी भी बिंदु पर प्रतिभूतिकरण नोटों के जोखिम प्रोफाइल में तात्विक परिवर्तन होने की स्थिति में ऑरिजनैटर यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों, ऋणरेटिंग एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को 14

कैलेंडर दिनों की अधिकतम समय-सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से सूचित और प्रकटित किया जाए।

ई. ऑरिजनैटरों द्वारा कुल प्रतिधारित एक्सपोजर की सीमा

25. किसी विशेष प्रतिभूतिकरण संरचना या योजना से संबंधित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऑरिजनैटर का कुल एक्सपोजर ऐसी संरचना या योजना द्वारा बनाए गए कुल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, ऋण संवर्धन ब्याज मात्र वाली श्रृंखला के लिए ऑरिजनैटरों के एक्सपोजर को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।
26. एसपीई के साथ किए गए ब्याज दर स्वैप/करेंसी स्वैप के कारण क्रेडिट एक्सपोजर को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।
27. कुल बनाए रखे गए एक्सपोजर पर 20% की सीमा का उल्लंघन तब नहीं माना जाएगा जब यह जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के परिशोधन के कारण बढ़े हैं।

एफ. जारी और सूचीबद्ध करना

28. प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार रु 1 करोड होगा।
स्पष्टीकरण: टिकट का परिमाण, इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, एकल निवेशक द्वारा निवेश के परिमाण को संदर्भित करता है।
29. प्रतिभूतिकरण नोटों को सूचीबद्ध करना विशेष रूप से आरएमबीएस जैसे कुछ उत्पाद वर्ग के संबंध में, और/या आम तौर पर एक निश्चित सीमा से ऊपर की सिफारिश की जाती है, हालांकि अनिवार्य नहीं है। किसी भी मामले में, जारी करने में पचास या अधिक व्यक्तियों को प्रतिभूतिकरण नोटों के किसी भी प्रस्ताव को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और सुरक्षा प्राप्तियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सूचीबद्ध करना आवश्यक होगा।

जी. विशेष प्रयोजन इकाई द्वारा अनुपालन की शर्तें

30. एसपीई को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए ताकि ऑरिजनैटरपूंजी पर्याप्तता और अन्य पहलुओं पर दिशा-निर्देशों को लागू कर सकें, जैसा कि इन निदेशों में निर्धारित किया गया है, जो इसके द्वारा ग्रहण किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के संबंध में है:

ए. ऑरिजनैटर और एसपीई के बीच कोई भी लेन-देन सख्ती से स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर होना चाहिए।

बी. एसपीई और न्यासी को नाम समान नहीं होना चाहिए या इसके शीर्षक या नाम में आस्ति के ऑरिजनैटर के साथ कोई जुड़ाव या संबंध नहीं होना चाहिए।

सी. ऑरिजनैटर का एसपीई में कोई मालिकियत, स्वामित्व या लाभकारी हित नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि इन निदेशों के तहत विशेष रूप से अनुमति दी गई हो। ऑरिजनैटर को एसपीई में कोई शेयर पूंजी नहीं रखनी चाहिए।

डी. एसपीई के बोर्ड में ऑरिजनैटर के पास वीटो शक्ति के बिना एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए, बशर्ते बोर्ड में कम से कम चार सदस्य हों और स्वतंत्र निदेशक बहुमत में हों।

ई. यदि एसपीई को न्यास के रूप में स्थापित किया गया है, तो

i) ऑरिजनैटर एसपीई और न्यासियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखेगा और न्यास विलेख, यदि कोई हो, का निपटान नहीं करेगा।

- ii) ऑरिजनैटर का न्यासियों में कोई मालिकियत, स्वामित्व या लाभकारी हित नहीं होगा।
- iii) एसपीई दिवालिया दूरस्थ और गैर-विवेकाधीन होना चाहिए।
- iv) न्यास विलेख, यदि कोई हो, में न्यासी द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उनके अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियों के संबंध में निवेशकों के अधिकारों और दायित्वों को विस्तार से बताया जाना चाहिए। न्यास की आस्ति के निपटान और प्रबंधन या आवेदन के तरीके के बारे में न्यास विलेख न्यासी को किसी भी विवेक के लिए प्रदान नहीं करना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए, निवेशकों को न्यास विलेख में किसी भी समय न्यासी को बदलने का अधिकार होना चाहिए।
- v) न्यासी को केवल एसपीई के संबंध में न्यासधारिता कार्य करना चाहिए और एसपीई के साथ कोई अन्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए।

vi) न्यास विलेख की एक प्रति, यदि कोई हो, और एसपीई के खातों और मामलों के विवरण को ऑरिजनैटर और/या अन्य उधारदाताओं द्वारा आरबीआई को, यदि ऐसा करने की आवश्यकता है, उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

एफ. इन निदेशों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत सुविधाओं के अलावा ऑरिजनैटर एसपीई के नुकसान का वहन नहीं करेगा और एसपीई के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा।

जी. एसपीई को अपने द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये प्रतिभूतिकरण नोट बीमाकृत नहीं हैं और वे ऑरिजनैटर, सेवाप्रदाता या न्यासियों की जमा देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

31. उन मामलों में जहां ऑरिजनैटर ने किसी अन्य उधारदाता से ऋण खरीदा है, खंड 30 के प्रावधान उस उधारदाता पर भी लागू होंगे, जिससे ऑरिजनैटर ने एक्सपोजर खरीदा है।

बशर्ते कि खंड 30 के उप-खंड (डी) के प्रयोजन के लिए, ऑरिजनैटर या उधारदाता में से केवल एक ही, जिससे ऑरिजनैटर द्वारा ऋण खरीदा गया था, एसपीई के बोर्ड में प्रतिनिधि हो सकता है।

एच. अभ्यावेदन और वारंटी

32 एसपीई को आस्ति बेचने वाला एक ऑरिजनैटर उन परिसंपत्तियों के संबंध में अभ्यावेदन और वारंटी दे सकता है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो ऑरिजनैटर को ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी के विरुद्ध पूंजी रखने की आवश्यकता होगी:

ए. कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार के माध्यम से प्रदान की जाती है।

बी. ऑरिजनैटर किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी को प्रदान करने या स्वीकार करने से पहले उचित सावधानी बरतता है।

सी. प्रतिनिधित्व या वारंटी तथ्यों की मौजूदा स्थिति को संदर्भित करता है जो कि आस्ति की बिक्री के समय ऑरिजनैटर द्वारा सत्यापित किए जाने में सक्षम है।

डी. प्रतिनिधित्व या वारंटी ओपन-एंडेड नहीं है और, विशेष रूप से, आस्ति की भविष्य की साख से संबंधित नहीं है, एसपीई का प्रदर्शन और/या प्रतिभूतिकरण एसपीई मुद्दों को नोट करता है।

ई. एक प्रतिनिधित्व या वारंटी का प्रयोग, जिसमें ऑरिजनैटर को यह आवश्यक है कि एक एसपीई को बेची गई आस्ति (या उनमें से किसी भी हिस्से) का प्रतिस्थापन निम्न प्रकार होनी चाहिए:

- i. एसपीई को आस्तियों के हस्तांतरण के 120 दिनों के भीतर किया गया; तथा

ii. मूल बिक्री के समान नियमों और शर्तों पर आयोजित किया गया।
एफ. एक ऑरिजनैटर जिसे प्रतिनिधित्व या वारंटी के उल्लंघन के लिए नुकसान का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह ऐसा कर सकता है बशर्ते कि हर्जाने का भुगतान करने का समझौता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

- i. प्रतिनिधित्व या वारंटी के उल्लंघन के लिए सबूत की जिम्मेदारी पार्टी के साथ हर समय बनी रहती है;
- ii. उल्लंघन का आरोप लगाने वाली पार्टी दावे के आधार को विनिर्दिष्ट करते हुए दावे की एक लिखित सूचना देती है; तथा
- iii. नुकसान सीधे उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान तक सीमित हैं।

जी. एक ऑरिजनैटर को आरबीआई (पर्यवेक्षण विभाग) को उन सभी मामलों के बारे में सूचित करना चाहिए जहां वह एसपीई को बेची गई आस्ति को बदलने या किसी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।

आई. लेखांकन प्रावधान

33. ऑरिजनैटर एसपीई को केवल नकद आधार पर आस्तियां बेचेंगे और बिक्री प्रतिफल को एसपीई को परिसंपत्ति के हस्तांतरण के बाद प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आस्तियों के हस्तांतरण और प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के बीच 30 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
34. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिन्हें भारतीय लेखा मानकों (इंडएएस) का अनुपालन करना आवश्यक है, उन्हें प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और लेनदेन के लिए लेखांकन के संबंध में मानकों और आईसीएआई की सलाहों द्वारा निदेशित किया जाना जारी रहेगा।
35. अन्य उधारदाताओं के मामले में, बिक्री के समय प्राप्त होने वाली किसी भी हानि, लाभ या प्रीमियम को तदनुसार लेखा अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाना चाहिए, जिसके दौरान बिक्री पूरी हो गई है।
36. खंड 35 में विनिर्दिष्ट ऐसे उधारदाताओं के लिए, एसपीई को अंतर्निहित आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अप्राप्त लाभ के मामले में निम्नलिखित ट्रीटमेंट लागू होगा, जैसे कि संभावित भावी मार्जिन आय (केवल ब्याज स्ट्रिप्स या अन्यथा द्वारा प्रतिनिधित्व) से जुड़ा हुआ है :

ए. अप्राप्त लाभ को लाभ और हानि खाते में नहीं पहचाना जाना चाहिए; इसके बजाय उधारदाताओं को "ऋण हस्तांतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" के रूप में स्टाइल किए गए लेखांकन शीर्ष के तहत अप्राप्त लाभ होगा।

बी. लाभ को लाभ और हानि खाते में तभी पहचाना जा सकता है जब अपेक्षित भावी मार्जिन आय से जुड़े ऐसे अप्राप्त लाभ को नकद में भुनाया जाए। हालांकि, यदि अपेक्षित भविष्य की मार्जिन आय से जुड़े अप्राप्त लाभ ऋण संवर्धन के लिए सक्षम हैं (उदाहरण के लिए, ऋण संवर्धन इंटरैस्ट-ओनली स्ट्रिप के रूप में), तो इस खाते में शेष राशि को संभावित हानि पर प्रावधान के रूप में माना जा सकता है।

सी. ऋण संवर्धन इंटरैस्ट-ओनली स्ट्रिप के परिशोधन के मामले में, एक उधारदाता समय-समय पर नकद में प्राप्त करेगा, केवल वह राशि जो नुकसान को अवशोषित करने के बाद बची है, यदि कोई हो, जो ऋण संवर्धन इंटरैस्ट-ओनली स्ट्रिप द्वारा समर्थित है। प्राप्त होने पर, इस राशि को लाभ और हानि खाते में जमा किया जा सकता है और देय परिशोधन के

बराबर राशि को "ऋण हस्तांतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" खाते में लिखा जा सकता है, जिससे केवल उधारदाता के बहियों में ऋण संवर्धन इंटरेस्ट-ओनली स्ट्रिप के बही मूल्य को कम किया जा सकता है।

डी. गैर-परिशोधन ऋण संवर्धन इंटरेस्ट-ओनली स्ट्रिप के मामले में, जब उधारदाता को एसपीई द्वारा ऋण संवर्धन इंटरेस्ट-ओनली स्ट्रिप पर नुकसान के चार्ज-ऑफ की सूचना प्राप्त होती है, तो वह इस पर बराबर राशि को अपलिखित किया जा सकता है "ऋण हस्तांतरण लेनदेन पर अवास्तविक लाभ" खाते और उधारदाता की बहियों में ऋण संवर्धन इंटरेस्ट-ओनली स्ट्रिप के बही मूल्य को नीचे लाएं। नकद में प्राप्त ऋण संवर्धन इंटरेस्ट-ओनली स्ट्रिप के अंतिम मोचन मूल्य में प्राप्त राशि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जा सकता है।

अध्याय III: सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतिकरण

37. केवल प्रतिभूतिकरण जो इन निदेशों के अनुबंध 1 में निर्धारित सभी मानदंडों को अतिरिक्त रूप से पूरा करते हैं, एसटीसी ढांचे के दायरे में आते हैं। उक्त मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के निदेश पर आधारित हैं। प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर जो एसटीसी-अनुपालन हैं, वैकल्पिक पूंजी प्रबंध के अधीन हो सकते हैं जैसा कि खंड 108 से 110 द्वारा निर्धारित किया गया है।
38. निवेशकों को यह निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए कि प्रतिभूतिकरण एसटीसी-अनुपालन है या नहीं, ऑरिजनैटर को निवेशकों को लेनदेन स्तर पर सभी आवश्यक जानकारी का खुलासा करना चाहिए। ऑरिजनैटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, वैकल्पिक पूंजी प्रबंध को लागू करने से पहले निवेशक को प्रतिभूतिकरण की एसटीसी अनुपालन स्थिति का अपना मूल्यांकन करना चाहिए।
39. ऑरिजनैटर द्वारा रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए, जहां ऑरिजनैटर द्वारा खंड 81 और 82 की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त ऋण जोखिम हस्तांतरण प्राप्त किया गया है, एसटीसी आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण ऑरिजनैटर द्वारा किया जाएगा।
40. एसटीसी मानदंडों को हर समय पूरा करने की आवश्यकता है। कुछ मानदंडों के अनुपालन की जांच केवल एसटीसी प्रतिभूतिकरण की उत्पत्ति (या गारंटी या चलनिधि सुविधाओं के मामले में एक्सपोजर शुरू करने के समय) पर आवश्यक हो सकती है। इसके बावजूद, निवेशकों और प्रतिभूतिकरण स्थिति (पज़िशन) के धारकों से उन घटनाक्रमों को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है जो पिछले अनुपालन मूल्यांकन को अमान्य कर सकते हैं, उदाहरण के लिए निवेशक रिपोर्ट की आवृत्ति और सामग्री में कमियां, ब्याज के सरेखण में, या लेनदेन दस्तावेज में परिवर्तन प्रासंगिक एसटीसी मानदंड के साथ भिन्नता।
41. ऐसे मामलों में जहां मानदंड अंतर्निहित को संदर्भित करता है, और पूल गतिशील है, मानदंड का अनुपालन हर बार पूल में आस्ति जोड़े जाने पर गत्यात्मक जांच के अधीन होगा। संबंधित लेनदेन दस्तावेजों में आस्तियों को जोड़ने के मानदंड स्पष्ट रूप से वर्णित किए जाने चाहिए।
42. निवेशकों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के प्रति न्यासी जिम्मेदारी वाले ऑरिजनैटर, सेवाप्रदाता और अन्य पक्षों के पास प्रतिभूतिकृत किए जा रहे लोगों के लिए काफी हद तक समान ऋण दावों या प्राप्तियों के लिए और उचित रूप से लंबी अवधि के लिए एक स्थापित प्रदर्शन इतिहास है या नहीं।

43. आरबीआई पर्यवेक्षी समीक्षा के हिस्से के रूप में, ऑरिजनैटर सहित उधारदाताओं द्वारा किए गए अधिमान्य विनियामकीय पूंजी प्रबंध कार्यों को सत्यापित करेगा। यदि यह पता चलता है कि कोई लेनदेन विनियामकीय पूंजी उद्देश्यों के लिए एसटीसी मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ पिलर 2 ढांचे के तहत अतिरिक्त पूंजी सहित, और/या उस विशिष्ट लेनदेन के लिए अधिमान्य विनियामकीय पूंजी प्रबंध से इनकार करके और संभावित रूप से अन्य भी उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई करेगा।

अध्याय IV: प्रतिभूतिकरण संरचनाओं का समर्थन करने वाली सुविधाओं का प्रावधान

ए. सामान्य शर्तें

44. उधारदाता ऋण संवर्धन सुविधाएं, चलनिधि सुविधाएं, हामीदारी सुविधाएं और सेवा सुविधाएं जैसी सहायक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। उधारदाताओं के अलावा, चूंकि ऐसी सुविधाएं उन संस्थाओं द्वारा भी प्रदान की जा सकती हैं जो उधारदाता नहीं हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को आम तौर पर इन दिशाओं में "सुविधा प्रदाता" के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे सुविधा प्रदाता(ओं) को कम से कम एक वित्तीय क्षेत्र विनियामकीय द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

45. सुविधा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, इस अध्याय के शेष खंडों में निर्धारित प्रत्येक सुविधा के लिए लागू विशिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

ए. सुविधा के प्रावधान को अन्य सुविधाओं से अलग रखने के लिए संरचित किया जाना चाहिए और सुविधा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सुविधा से अलग दस्तावेज होना चाहिए। प्रकृति, उद्देश्य, सुविधा की सीमा और प्रदर्शन के सभी आवश्यक मानकों को एक लिखित समझौते में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिसे लेनदेन की शुरुआत के समय निष्पादित किया जाना चाहिए और प्रस्ताव दस्तावेज़ में खुलासा किया जाना चाहिए।

बी. सुविधा बाजार की शर्तों पर 'स्वतंत्र संव्यवहार आधार' पर प्रदान की जाती है और शर्तें, और सुविधा प्रदाता की सामान्य ऋण स्वीकृति और समीक्षा प्रक्रिया के अधीन हैं।

सी. सुविधा के लिए किसी शुल्क या अन्य आय का भुगतान अधीनस्थ या आस्थगन या छूट के अधीन नहीं है।

डी. सुविधा एक विनिर्दिष्ट राशि और अवधि तक सीमित है।

ई. सुविधा की अवधि पहले की तारीखों तक सीमित है जिस पर:

i. एसपीई द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों से जुड़े सभी दावों का भुगतान किया जाता है; या

ii. ऐसी सुविधा के संबंध में सुविधा प्रदाता के दायित्वों को अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है।

एफ. निश्चित संविदात्मक दायित्वों से परे सुविधा प्रदाता के लिए कोई उपाय नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से, सुविधा प्रदाता को प्रतिभूतिकरण के किसी भी आवर्ती खर्च को वहन नहीं करना चाहिए।

जी. सुविधा प्रदाता ने कानूनी राय प्राप्त की है कि समझौते की शर्तें, सुविधा के प्रावधान को नियंत्रित करने वाले समझौते के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्वों के संबंध में, प्रतिभूतिकरण या एसपीई/ न्यासी में निवेशकों के प्रति किसी भी दायित्व से इसका अभिशासन करती हैं।

एच. एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों में एसपीई और/या निवेशकों को इस दिशा में निदेशों के अनुपालन के अधीन सुविधा प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक पार्टी का चयन करने का स्पष्ट अधिकार है।

बी. ऋण संवर्धन सुविधाएं

46. प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिभूत आस्तियों के नुकसान को कवर करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा/ वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से एक संरचित वित्तीय लेनदेन के ऋण प्रोफाइल को बढ़ाने की प्रक्रिया है। संवर्धन को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है यथा आंतरिक ऋण संवर्धन और बाह्य ऋण संवर्धन। ऋण संवर्धन, जो निवेशकों के लिए, अंतर्निहित उधारकर्ताओं के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए एक्स्पोज़र पैदा करती है, बाहरी ऋण संवर्धन कहलाती है। उदाहरण के लिए, नकद संपार्श्विक और पहली/ दूसरी हानि की गारंटी ऋण संवर्धन के बाहरी रूप हैं। अधीनस्थ ट्रांच में निवेश, अति-संपार्श्विकीकरण, अतिरिक्त स्प्रेड ऋण संवर्धन इंटररेस्ट-ओनली स्ट्रिप ऋण संवर्धन के आंतरिक रूप हैं।
47. ऋण संवर्धन सुविधाओं में वे सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप एक सुविधा प्रदाता एक प्रतिभूतिकरण लेनदेन में निवेशकों के नुकसान को अवशोषित कर सकता है। ऐसी सुविधाएं ऑरिजनैटर और तृतीय पक्ष दोनों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ऋण संवर्धन सुविधाएं प्रदान करने वाले सुविधा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया गया है, जिसके विफल होने पर ऋण संवर्धन प्रदाता को प्रतिभूतिकृत आस्तियों के पूर्ण मूल्य के बराबर पूंजी रखने की आवश्यकता होगी:

ए. खंड 44-45 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें।

बी. ऋण संवर्धनकी सुविधा केवल प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत पर ही प्रदान की जानी चाहिए।

सी. प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत में विस्तारित ऋण संवर्धन की राशि प्रतिभूतिकरण नोटों के पूरे जीवन के दौरान एसपीई को उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके संबंध में, इन निदेशों के तहत विशेष रूप से अनुमत ऐसे ऋण संवर्धन के किसी भी पुनर्निर्धारण के अधीन इस तरह की ऋण संवर्धन प्रदान की जाती है।

डी. सुविधा प्रदाता द्वारा लाभ और हानि खाते में नामे करके ऋण संवर्धन के किसी भी उपयोग / आहरण को तुरंत बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

सी. ऋण संवर्धन का पुनर्निर्धारण

48. पुनर्निर्धारण को ऋण संवर्धन के बाहरी रूपों पर लागू किया जा सकता है, जो पहले या दूसरे नुकसान की स्थिति में है। प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत के समय प्रदान की गई बाहरी ऋण संवर्धन की मूल राशि को नीचे दी गई शर्तों के अधीन ऋण वृद्धि प्रदाता द्वारा पुनर्निर्धारण किया जा सकता है।

ए. पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतिकरण नोटों के सभी बकाया ट्रांच का पुनर्मूल्यांकन (इक्विटी ट्रांच के अलावा) किया जाना चाहिए। यदि किसी भी ट्रांच की रेटिंग इन प्रतिभूतिकरण स्थिति (पज़िशन) की मूल रेटिंग की तुलना में खराब हो गई है, तो ऋण संवर्धन के पहले पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी ट्रांच की रेटिंग पिछले पुनर्निर्धारण के समय रेटिंग की तुलना में खराब हो गई है, तो बाद के पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बी. यदि उक्त (ए) के संदर्भ में पुनर्निर्धारण की अनुमति है, तो मूल या वर्तमान बकाया रेटिंग को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऋण संवर्धन की राशि, जो भी अधिक हो, संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा पहले पुनर्निर्धारण के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। इसी तरह, बाद के पुनर्निर्धारण के लिए, पिछले पुनर्निर्धारण और वर्तमान बकाया रेटिंग के समय रेटिंग के उच्चतम को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऋण संवर्धन की राशि संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

बशर्ते कि केवल रेटिंग एजेंसी, अपने निरंतर रेटिंग संचालन के अधीन, जिसने शुरू में प्रतिभूतिकरण लेनदेन को रेट किया था, ऋण संवर्धन के पुनर्निर्धारण के उद्देश्य से इसे फिर से रेट करेगा। इस विनियामकीय सलाहकार के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम खंड और वाणिज्यिक शर्तों को प्रारंभिक संविदा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर ऋण संवर्धन पुनर्निर्धारण निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

सी. ऋण संवर्धन का पुनर्निर्धारण प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशकों की सहमति के अधीन होगा। सहमति या तो प्रत्येक पुनर्निर्धारण के दौरान स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सकती है या लेन-देन दस्तावेजों में सामान्य खंड शामिल हो सकते हैं जो शेष ऋण संवर्धन के लिए निवेशकों की निहित सहमति प्रदान करते हैं।

डी. लेन-देन की संविदात्मक शर्तों में ऋण संवर्धन का पुनर्निर्धारण प्रदान किया जाना चाहिए और लेनदेन की प्रारंभिक रेटिंग को पुनर्निर्धारण की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह के संविदात्मक खंड में स्पष्ट रूप से परिभाषित पोर्टफोलियो-स्तरीय अपचार ट्रिगर शामिल होना चाहिए, जो अगर मिले, तो ऋण संवर्धन पुनर्निर्धारण उपलब्ध नहीं होना चाहिए या संभव नहीं होना चाहिए।

ई. यदि ऐसा संविदात्मक खंड मूल रूप से उपलब्ध नहीं था, तो बकाया प्रतिभूतिकरण नोटों के सभी निवेशकों की सहमति के अधीन ऋण संवर्धन का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है।

एफ. उन संरचनाओं में जहां बाहरी ऋण संवर्धन प्रथम हानि ऋण संवर्धन (एफएलसीई) और द्वितीय हानि ऋण संवर्धन (एसएलसीई) प्रदान करते हैं, पुनर्निर्धारण को एफएलसीई और एसएलसीई के बीच एक साथ अनुपात में किया जा सकता है ताकि पुनर्निर्धारण कम से कम एसएलसीई के बकाया रेटिंग [जैसा कि ऊपर (बी) में परिकल्पित] पर बनाए रखे।

जी. इक्विटी ट्रांच के पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं है क्योंकि यह एक आंतरिक ऋण संवर्धन के पुनर्निर्धारण के समान होगा।

49. आवासीय बंधक समर्थित-प्रतिभूतियों के अलावा अन्य सभी प्रतिभूतियों के लिए, पहले पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत के समय सौंपी गई कुल मूल राशि का कम से कम 50% परिशोधन किया जाना चाहिए। बाद के पुनर्निर्धारण को पूल प्रिंसिपल के 10% के चरणों में परिशोधित करने के बाद किया जा सकता है, यानी मूल स्तर के कम से कम 60%, 70% और 80% तक। हालांकि, लगातार पुनर्निर्धारण के बीच कम से कम छह महीने का अंतराल बनाए रखा जाना चाहिए।

50. आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के लिए, पहले पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत के समय सौंपी गई कुल मूल राशि का कम से कम 25% परिशोधन किया जाना चाहिए। बाद के पुनर्निर्धारण पूल प्रिंसिपल के प्रत्येक 10% (मूल स्तर के) आगे परिशोधन

पर किए जा सकते हैं। क्रमिक पुनर्निर्धारण के बीच कम से कम छह महीने का अंतराल बनाए रखा जाना चाहिए।

51. अतिरिक्त ऋण संवर्धन निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जा सकती है:

□. लेन-देन के समय प्रदान की गई प्रारंभिक ऋण संवर्धन के प्रतिशत के रूप में ऋण संवर्धन की रिहाई एक रिज़र्व फ्लोर के अधीन होगी, अर्थात्, किसी भी समय, उपलब्ध ऋण संवर्धन का स्तर, किसी भी पुनर्निर्धारण के बाद निर्धारित रिज़र्व फ्लोर से नीचे नहीं आएगा। इस प्रकार, भले ही रेटिंग को बनाए रखने के लिए ऋण संवर्धन का आवश्यक स्तर, जैसा कि एक पुनर्निर्धारण के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है, रिज़र्व फ्लोर से कम है, पुनर्निर्धारण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि की गणना उपलब्ध ऋण संवर्धन और रिज़र्व फ्लोर के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी।

बी. फ्लोर की शर्त आस्ति वर्ग, ऑरिजनैटर के ट्रेक रिकॉर्ड और पूल में दीर्घकालिक संविदाओं की एकाग्रता जैसे अन्य पूल विशिष्ट कारकों के आधार पर लेनदेन संरचना पर आधारित हो सकती है, और किसी भी मामले में इससे कम नहीं होनी चाहिए:

- i. आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों के लिए प्रारंभिक ऋण संवर्धन का 30%; तथा
- ii. आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के लिए प्रारंभिक ऋण संवर्धन का 20%।

सी. उन्हें सौंपे गए खंड 48 के उप-खंड (बी) में निर्दिष्ट सभी ट्रांच की क्रेडिट रेटिंग को बनाए रखने के लिए आवश्यक से अधिक ऋण संवर्धन का अधिकतम 60% किसी भी समय जारी करने के लिए विचार किया जा सकता है। उक्त (ए) में इंगित रिज़र्व फ्लोर को पूरा करने के अधीन।

डी. पुनर्निर्धारण से इन निदेशों के अध्याय II के खंड बी में निर्धारित एमआरआर के स्तर से नीचे गिरने वाले ऋण संवर्धन के साथ-साथ ऑरिजनैटरों द्वारा बनाए गए एक्सपोजर का नेतृत्व नहीं करना चाहिए।

52. हितधारकों के बीच एक सामान्य समझ की सुविधा के लिए और बाजार को अच्छे पूल प्रदर्शन और सीई पुनर्निर्धारण के बीच संबंध को समझने की अनुमति देने के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीई पुनर्निर्धारण से संबंधित जानकारी का प्रसार करेंगी और पुष्टि करेंगी कि इस तरह के पुनर्निर्धारण से रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगी।

डी. चलनिधि सुविधा

53. अंतर्निहित आस्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति और निवेशकों को किए जाने वाले भुगतानों के बीच एसपीई द्वारा सामना किए जाने वाले समय के अंतर को कम करने में मदद करने के लिए एक चलनिधि सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण संवर्धन और/या ऋण सहायता के रूप में सुविधा के कार्य करने की संभावना से बचाव के लिए चलनिधि सुविधा को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए:

ए. खंड 44-45 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें।

बी. सुविधा के लिए प्रलेखन में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनके तहत सुविधा का उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

सी. सुविधा केवल तभी आहरित करने में सक्षम होनी चाहिए, जहां ड्रॉइंग को कवर करने के लिए पर्याप्त स्तर की गैर-चूक आस्ति है, या गैर-निष्पादित होने वाली आस्तियों की पूरी राशि पर्याप्त ऋण संवर्धन द्वारा कवर की जाती है।

डी. सुविधा के उद्देश्य के लिए तैयार नहीं की जाएगी:

- i. ऋण संवर्धन प्रदान करना;
- ii. एसपीई के नुकसान को कवर करना;
- iii. स्थायी परिक्रामी निधि के रूप में कार्य करना, अर्थात् चलनिधि समर्थन मानदंड के बजाय अपवाद होना चाहिए; तथा
- iv. ड्रॉ डाउन से पहले एक्सपोजर के अंतर्निहित पूल में हुई किसी भी हानि को कवर करना।

ई. चलनिधि सुविधा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए:

- i. प्रतिभूतिकरण के आवर्ती खर्चों को पूरा करना;
- ii. एसपीई द्वारा अतिरिक्त आस्तियों के अधिग्रहण का वित्तपोषण;
- iii. निवेशकों के अंतिम अनुसूचित पुनर्भुगतान का वित्तपोषण; तथा
- iv. वारंटियों का वित्तपोषण उल्लंघन।

एफ. एसपीई को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए न कि सीधे निवेशकों को।

जी. जब चलनिधि सुविधा का आहरण किया गया हो, तो सुविधा प्रदाता को अंतर्निहित आस्तियों से भविष्य के नकदी प्रवाह पर दावे की प्राथमिकता होगी, और इस प्रकार वह वरिष्ठ ट्रांच से वरिष्ठ होगा।

एच. किसी भी स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा प्रदान की गई चलनिधि सहायता में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए ऑरिजनैटर उत्तरदायी नहीं होना चाहिए।

54. यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो चलनिधि सुविधा को ऋण संवर्धन के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामलों में, किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई चलनिधि सुविधा को ऋण संवर्धन के रूप में माना जाएगा।

55. चूंकि चलनिधि सुविधा अस्थायी नकदी प्रवाह बेमेल को कम करने के लिए है, यह सुविधा केवल छोटी अवधि के लिए ही आहरित रहेगी, अधिमानतः निवेशकों को लगातार दो पुनर्भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि सुविधा के तहत आहरण 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है तो इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जाना चाहिए।

ई हामीदारी अंकन सुविधाएं

56. एक ऑरिजनैटर या एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता एसपीई द्वारा प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए एक हामीदार के रूप में कार्य कर सकता है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए सुविधा को एक हामीदारी सुविधा के रूप में मान सकता है:

ए. खंड 44-45 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी होती हैं।

बी. हामीदारी का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब एसपीई हामीदारी समझौते में पूर्व निर्धारित बेंचमार्क के बराबर या उससे अधिक कीमत पर बाजार में प्रतिभूतिकरण नोट जारी नहीं करे।

सी. सुविधा प्रदाता के पास भुगतान रोकने की क्षमता है और यदि आवश्यक हो, तो निर्दिष्ट घटनाओं (उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन या एक निर्दिष्ट स्तर से ऊपर की आस्ति पर चूक) के होने पर सुविधा को समाप्त करने की क्षमता रखता है; तथा

57. यदि उपरोक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो सुविधा को ऋण संवर्धन के रूप में माना जाएगा।
58. एक ऑरिजनैटर केवल एसपीई द्वारा जारी किए गए निवेश ग्रेड वरिष्ठ नोटों को हामीदारी कर सकता है। हामीदारी के माध्यम से ऑरिजनैटर को हस्तांतरित किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों की धारिता पर खंड 25 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, बशर्ते वे अधिग्रहण के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर असंबंधित तृतीय पक्षों को बेचे जाएं। अधिग्रहण के बीच और तीन महीने तक की अवधि के लिए, ऑरिजनैटर पूंजी के बराबर पूंजी बनाए रखेगा जैसे कि ऑरिजनैटर की बहियों पर एक्सपोजर बनाए रखा गया था।

एफ़. सर्विसिंग सुविधाएं

59. सेवा सुविधा प्रदाता प्रतिभूतिकृत आस्तियों का व्यवस्थापन या सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए, सेवा सुविधा प्रदाता द्वारा एसपीई को चूक, उल्लंघनों, लापरवाही या धोखाधड़ी से क्षतिपूर्ति करने वाले सेवा सुविधा करार में संविदात्मक रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, एसपीई द्वारा हुए किसी भी हानि का अनुसमर्थन करने के संबंध में इसका कोई दायित्व नहीं होना चाहिए, और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर में निवेशकों को इसे प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। किसी मालिकाना या तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने वाले सुविधा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

ए. खंड 44-45 में निर्दिष्ट सभी शर्तें।

बी. सेवा प्रदाता को एसपीई या निवेशकों को निधि भेजने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए, जब तक कि उसे अंतर्निहित आस्तियों से उत्पन्न निधि प्राप्त नहीं हो जाता है, सिवाय इसके कि वह एक पात्र चलनिधि सुविधा का प्रदाता भी है।

सी. सेवा प्रदाता अंतर्निहित से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को निवेशकों की ओर से न्यासित रखेगा और उसे इन नकदी प्रवाहों को अपने स्वयं के नकदी प्रवाह के साथ मिलाने से बचना चाहिए।

डी. सेवा प्रदाता को प्रतिभूतिकृत पूल का हिस्सा बनने वाले अंतर्निहित ऋणों से उत्पन्न होने वाले सभी नकदी प्रवाह को अन्य क्षमताओं में प्रतिभूतिकरण लेनदेन में किसी भी रूप में बनाए रखे जाने वाले हित की परवाह किए बिना सहमत तंत्र के अनुसार एसपीई को प्रेषित करना चाहिए।

60. जहां उपरोक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, सेवा प्रदाता को एसपीई या निवेशकों को चलनिधि सुविधा प्रदान करने वाला माना जा सकता है और पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए तदनुसार व्यवहार किया जा सकता है।

अध्याय V: उधारदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं जो प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर में निवेशक हैं:

ए. समुचित सावधानी अपेक्षाएं

61. उधारदाता प्रतिभूतिकृत नोटों में केवल तभी निवेश कर सकते हैं जब ऑरिजनैटर ने खरीददारों को स्पष्ट रूप से यह प्रकटीकरण किया हो कि उसने एमआरआर और एमएचपी आवश्यकताओं का

- पालन किया है और इस दिशा में लागू और प्रदत्त सूचना के अनुसार निरंतर आधार पर एमआरआर का पालन करेगा।
62. भारतीय उधारदाताओं की विदेशी शाखाओं के लिए, उन्हें अन्य क्षेत्राधिकारों में प्रतिभूतिकरण माध्यमों में निवेश या एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, जिन्होंने कोई एमआरआर निर्धारित नहीं किया है। एमएचपी के संबंध में, अधिकार क्षेत्र में कार्यरत भारतीय उधारदाताओं की विदेशी शाखाएं, जिनके पास एमएचपी से संबंधित विनियम नहीं हैं, उन क्षेत्राधिकारों में निर्धारित विनियमों का पालन कर सकते हैं।
63. इसके अलावा, केवल अगर ऑरिजनैटर ने स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया है कि उसने [भारतीय रिज़र्व बैंक \(अपने ग्राहक को जानिए \(केवाईसी\) निदेश, 2016](#) (समय-समय पर संशोधित) के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है, तो उधारदाता ऐसे प्रतिभूतिकृत नोट में निवेश कर सकते हैं।
64. उधारदाताओं को हर समय अपने व्यक्तिगत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की जोखिम विशेषताओं के साथ-साथ पूल की जोखिम विशेषताओं की व्यापक समझ होनी चाहिए। उधारदाताओं को यह भी प्रदर्शित करना होगा कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए उन्होंने औपचारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को उपयुक्त के रूप में लागू किया है।
65. उधारदाताओं को अंतर्निहित पूलों पर निरंतर आधार पर प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह की जानकारी में जैसा उपयुक्त हो, शामिल हो सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे : औसत क्रेडिट स्कोर या ऋणपात्रता के समान समुच्चय के माध्यम से औसत ऋणगुणवत्ता, ऋणों के पूल के विविधीकरण की सीमा, ऋण का अनुसमर्थन करने वाले संपार्श्विक के बाजार मूल्यों की अस्थिरता, आर्थिक गतिविधियों की चक्रीयता जिसमें अंतर्निहित उधारकर्ता शामिल हैं, एक्सपोजर प्रकार, पूर्व भुगतान दर, आस्ति के प्रकार, अधिवासन, आदि।
66. उधारदाताओं को प्रतिभूतिकरण लेनदेन की उन सभी संरचनात्मक विशेषताओं की पूरी समझ होनी चाहिए जो लेनदेन के लिए उनके एक्सपोजर के प्रदर्शन को ठोस रूप से प्रभावित करेगी। इस तरह की जानकारी में जैसा उपयुक्त हो, शामिल हो सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे : ट्रांच की अवधि , गौण ट्रांच की महत्ता , पूर्व भुगतान जोखिम और ऋण संवर्धन पुनर्निर्माण के प्रति इसकी संवेदनशीलता, पुनर्भुगतान वॉटरफाल की संरचना, वॉटरफाल से संबंधित ट्रिगर, ट्रांच की स्थिति (पज़िशन) ट्रांच के क्रमिक पुनर्भुगतान, चलनिधि संवर्धन , चलनिधि सुविधाओं के मामले में ऋण संवर्धन की उपलब्धता, चूक की डील-विशिष्ट परिभाषा आदि।
67. उपरोक्त के अलावा, उधारदाताओं को प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के संबंध में निर्णय लेते समय निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए:
 ए. ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानकों के पालन के मामले में ऑरिजनैटरों की प्रतिष्ठा, प्रतिभूतिकृत आस्ति खरीदे जाने के मामले में उचित सावधानी मानकों, पहले की प्रतिभूतियों में न्यूनतम प्रतिधारण और न्यूनतम धारिता मानकों का पालन, और प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर का चयन करने में निष्पक्षता;

बी. प्रतिभूतिकरण स्थिति(पज़िशन) के अंतर्गत संबंधित एक्सपोजर वर्गों में ऑरिजनैटरों के पूर्व प्रतिभूतिकरण में हानि की घटना, अंतर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी की घटना, ऑरिजनैटर द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटी की सत्यता;

सी. प्रवर्तकों, या उनके एजेंटों या सलाहकारों द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर पर उनके उचित सावधानी के बारे में और जहां लागू हो, प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर का अनुसमर्थन करने वाले संपार्श्विक की गुणवत्ता पर वक्तव्य और प्रकटीकरण; तथा

डी. जहां लागू हो, वे पद्धतियां और अवधारणाएं जिन पर प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक का मूल्यांकन आधारित है और मूल्यांकक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऑरिजनैटर द्वारा अपनाई गई नीतियां।

बी. दबाव परीक्षण

68. उधारदाताओं को नियमित रूप से अपनी प्रतिभूतिकरण स्थिति (पज़िशन) के लिए उपयुक्त अपना स्वयं का दबाव परीक्षण करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, जिन विभिन्न कारकों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, उनमें आर्थिक मंदी की स्थिति (पज़िशन) में अंतर्निहित पोर्टफोलियो में चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दर में गिरावट या उधारकर्ताओं के आय में वृद्धि के कारण पूर्व-भुगतान दरों में वृद्धि के फलस्वरूप एक्सपोजर का शीघ्र मोचन, ऋण संवर्धन की रेटिंग में गिरावट के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकरण नोटों के बाजार मूल्य में गिरावट और प्रतिभूतिकरण नोटों की चलनिधि का कम होना जिसके परिणामस्वरूप उच्च विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। दबाव परीक्षण के परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी उच्च जोखिम का अनुसमर्थन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी रखी जाएगी।

सी. ऋण निगरानी और मूल्यांकन

69. उधारदाताओं के पास उन प्रतिभूतिकरण नोटों के मूल्यांकन का विवरण देने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां होंगी जिनमें उन्होंने निवेश किया है। नीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल, मॉडल के आधार पर धारणाएं, मूल्यांकन मॉडल और उसके मापदंडों के बैक-टेस्टिंग और दबाव परीक्षण के बारे में नीति आदि का वर्णन होना चाहिए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीतियों और उधारदाताओं द्वारा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश की स्थिति (पज़िशन) को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन निर्दिष्ट करने में ऐसी नीतियों का उपयोग पर्यवेक्षी समीक्षा का एक हिस्सा होगी।

70. प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशक के लिए प्रतिपक्षकार एसपीई नहीं बल्कि अंतर्निहित आस्ति होगी जिसके संबंध में देनदारों से नकदी प्रवाह की अपेक्षा की जाती है। उधारदाताओं के प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर "वृहत एक्सपोजर ढांचा "(समय-समय पर संशोधित) पर [3 जून 2019 के परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.03/2018-19](#) के पैरा 8.3 से 8.10 की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

71. उधारदाताओं को निरंतर आधार पर और समयबद्ध तरीके से, अपनी प्रतिभूतिकरण स्थिति (पज़िशन) के तहत अंतर्निहित एक्सपोजर से संबंधित प्रदर्शित जानकारी की निगरानी करने और उचित कार्रवाई करने, यदि कोई हो, की आवश्यकता है। कार्रवाई में अंतर्निहित प्रतिभूतिकरण के कुछ प्रकार के आस्ति वर्ग के लिए एक्सपोजर सीमा में संशोधन, ऑरिजनैटरों पर लागू सीमा में संशोधन आदि शामिल हो सकते हैं।

72. इस प्रयोजन के लिए, उधारदाताओं को अपनी बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही के लिए उपयुक्त औपचारिक प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए और इसे खंड 65 से 67 में निर्धारित प्रतिभूतिकृत स्थिति(पज़िशन) में अपने एक्सपोजर के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप होना चाहिए। जहां प्रासंगिक हो, इसमें एक्सपोजर प्रकार, देय 30, 60 और 90 दिनों की काल देयता से अधिक के ऋणों का प्रतिशत, चूक दरें, पूर्व भुगतान दरें, पुरोबंध में ऋण, संपार्श्विक प्रकार और अधिवासन और अंतर्निहित जोखिमों में विद्यमान क्रेडिट स्कोर की आवृत्ति का वितरण या ऋणमूल्यधारिता के अन्य उपाय, उद्योग और भौगोलिक विविधीकरण, बैंडविड्थ के साथ मूल्य अनुपात में ऋण का वितरण जो पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, को शामिल करेगा। उधारदाता अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की निगरानी के लिए अनुबंध 2 में दिए गए फॉर्म में ऑरिजनैटर्स द्वारा किए गए प्रकटीकरण का उपयोग कर सकते हैं।

अध्याय VI: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकताएं

ए. सामान्य शर्तें

73. उधारदाताओं को सभी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर राशियों के सापेक्ष पूंजी बनाए रखनी चाहिए, जिसमें प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रावधान, आस्ति-समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, गौण ट्रांच का प्रतिधारण, और चलनिधि सुविधा या ऋण संवर्धन में विस्तार शामिल है। पूंजी गणना के प्रयोजन के लिए, जब भी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पुनर्खरीद करार का विषय होता है और एक उधारदाता द्वारा पुनर्खरीद किया जाता है, तो एक्सपोजर को प्रतिधारित एक्सपोजर माना जाना चाहिए, न कि एक नया एक्सपोजर। उधारदाताओं को सामान्य इक्विटी टियर 1 या निवल स्वामित्व वाली निधियों में से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के परिणामस्वरूप इक्विटी पूंजी में किसी भी वृद्धि को या तो एसपीई को अंतर्निहित आस्तियों की बिक्री के समय वसूल करने के दौरान, या अंतर्निहित आस्तियों की बिक्री पर अप्राप्त लाभ जैसे कि इससे संबद्ध अपेक्षित भावी मार्जिन आय, जहां ऐसी आस्तियों की परिपक्वता तक अग्रिम रूप से मान्यता दिए जाने के दौरान घटाना चाहिए,
74. एक्सपोजर राशि की गणना करने के उद्देश्य से, उधारदाता द्वारा इस प्रकार के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की एक्सपोजर राशि को निम्नानुसार मापा जाएगा:

ए. बैंकों द्वारा बेचे गए या खरीदे गए ऋणजोखिम के लिए (लघु वित्त बैंकों सहित), [1 जुलाई 2015 के "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#)

के पैरा 7 में निर्धारित आचरण (समय-समय पर संशोधित) लागू होगा;

बी. ऋण सुरक्षा के लिए एनबीएफसी द्वारा बेचे या खरीदे गए, तुलनपत्रेतर एक्सपोजर सहित, प्रासंगिक मास्टर निदेशों में निर्धारित उपाय (समय- समय पर संशोधित) लागू होंगे;

सी. अपात्र ऋण जोखिम शमन योग्य सुविधाओं के लिए, 100% की ऋण रूपांतरण फैक्टर (सीसीएफ) का उपयोग करें; तथा

डी. ऋण जोखिम व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) अनुबंधों के अलावा व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) अनुबंध के लिए, जैसे कि ऐसे ब्याज दर या मुद्रा शुल्क जो उधारदाताओं द्वारा बेचा या खरीदा गया है, और जो उपर्युक्त उप-खंड (क) से (ग) द्वारा कवर न की गई सीमा में है, के संबंध में [दिनांक 10 नवंबर 2016 को "डेरिवेटिव लेनदेन से उत्पन्न समकक्ष ऋण जोखिम के लिए](#)

[गिनने योग्य एक्सपोजर के लिए दिशानिर्देश](#)" पर जारी परिपत्र में निर्धारित मापन दृष्टिकोण लागू होंगे।

75. पूंजी आवश्यकताओं की गणना के प्रयोजनों के लिए, उधारदाता का एक्सपोजर 'ए' सभी परिस्थितियों में दूसरे एक्सपोजर 'बी' को अतिव्यापित करता है तो उधारदाता एक्सपोजर 'ए' के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करते हुए एक्सपोजर 'बी' पर उधारदाता के लिए किसी भी हानि को रोक देगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उधारदाता कुछ प्रतिभूतिकरण नोटों को पूर्ण ऋण सहायता प्रदान करता है और इन प्रतिभूतिकरण नोटों का एक हिस्सा बनाए रखता है, तो इसका पूर्ण ऋण समर्थन दायित्व प्रतिभूतिकरण नोटों के संपर्क में आने से होने वाली किसी भी हानि को रोकता है। यदि कोई उधारदाता यह सत्यापित कर सकता है कि एक्सपोजर क के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने से किसी भी परिस्थिति में 'बी' के एक्सपोजर से होने वाली हानि को रोक दिया जाएगा, तो उधारदाता को अपने एक्सपोजर 'बी' के लिए जोखिम-भारित आस्तियों की गणना करने की आवश्यकता नहीं है।
76. अतिव्यापन पर पहुंचने के लिए, उधारदाता, पूंजी आवश्यकताओं की गणना के प्रयोजनों के लिए, अपने एक्सपोजर को विभाजित या विस्तारित कर सकता है, अर्थात्, एक्सपोजर को उन हिस्सों में विभाजित कर सकता है जो उधारदाता द्वारा धारित अन्य एक्सपोजर के साथ अतिव्यापित होते हैं और अन्य भाग जो अतिव्यापित नहीं होते हैं; और पूंजीगत उद्देश्यों के लिए यह मानकर एक्सपोजर का विस्तार करना कि एक अतिव्यापी एक्सपोजर के संबंध में संविदात्मक रूप से स्थापित की तुलना में उक्त दायित्व अधिक हैं। उदाहरण के लिए, कुछ परिस्थितियों में चूक आस्तियों को कवर करने के लिए चलनिधि सुविधा की संविदात्मक रूप से आवश्यकता नहीं हो सकती है। पूंजीगत उद्देश्यों के लिए, ऐसी स्थिति को उस प्रतिभूतिकरण द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के अतिव्यापन के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि, उधारदाता चलनिधि सुविधा के लिए जोखिम-भारित आस्तियों की गणना कर सकता है जैसे कि प्रतिभूतिकरण नोटों पर सभी हानियों को रोकने के लिए इसका विस्तार किया गया था (या तो चूक आस्तियों को कवर करने के लिए या ट्रिगर घटनाओं के संदर्भ में)। ऐसे मामले में, उधारदाता को केवल चलनिधि सुविधा पर पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने की आवश्यकता होगी।
77. ट्रेडिंग बही में एक्सपोजर के लिए प्रासंगिक पूंजी शुल्क और बैंकिंग बही में एक्सपोजर के लिए पूंजी शुल्क के बीच अतिव्यापन की भी पहचाना की जा सकती है, बशर्ते कि उधारदाता प्रासंगिक एक्सपोजर के लिए पूंजी शुल्क की गणना और तुलना करने में सक्षम हो।
78. उधारदाताओं द्वारा प्रदान की गई चलनिधि सुविधाएं जो इन निदेशों के अध्याय IV के खंड डी की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे इस अध्याय के खंड एच में निर्धारित एसईसी-ईआरबीए दृष्टिकोण के अनुसार जोखिम भार को आकर्षित करेंगी।
79. उधारदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली चलनिधि सुविधाएं जो इन निदेशों के अध्याय IV के खंड डी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, वास्तविक एक्सपोजर के बराबर पूंजी प्रभार बनाए रखेंगी, जो कि वापस लिए गए हिस्से के लिए 100% का ऋण रूपांतरण कारक लागू करने के बाद होगा।
80. सभी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, जो इन निदेशों में शामिल नहीं हैं, या जो इन निदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं (खंड 6 के अनुसार निषिद्ध एक्सपोजर सहित), या जहां

ऑरिजनैटर खंड 3 में निर्दिष्ट उधारदाता नहीं है, या जिसके लिए इन निदेशों में विवेकपूर्ण संव्यवहार की स्पष्ट रूप से सूचना नहीं दी गई है, उधारदाताओं को वास्तविक एक्सपोजर के बराबर पूंजी प्रभार रखना होगा और पर्यवेक्षी जांच और उपयुक्त कार्रवाई के अधीन होंगे।

बी पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से हस्तांतरित आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

81. ऑरिजनैटर को एसपीई को उस हस्तांतरित एक्सपोजर के लिए पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है, जो पहले एसपीई द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के लिए अंतर्निहित होती है, अर्थात्, एक विशेष प्रयोजन इकाई को हस्तांतरित एक्सपोजर जोखिम-भारित आस्तियों की गणना में शामिल किया जाना चाहिए और ऑरिजनैटर और एसपीई से प्राप्त प्रतिफल को अग्रिम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जब तक कि कम से कम निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों:

ए. ऑरिजनैटर हस्तांतरित एक्सपोजर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखता है। इस प्रयोजन के लिए, यह माना जाता है कि ऑरिजनैटर ने हस्तांतरित ऋण जोखिम एक्सपोजर पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा है यदि: (i) अपने लाभों को प्राप्त करने के लिए एसपीई से पहले हस्तांतरित एक्सपोजर को पुनर्खरीद करने में सक्षम है; या (ii) हस्तांतरित एक्सपोजर के जोखिम को बनाए रखने के लिए, संविदात्मक रूप से या अन्यथा, बाध्य है।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, हस्तांतरित एक्सपोजर के संबंध में सर्विसिंग अधिकारों का प्रतिधारण हस्तांतरित एक्सपोजर पर ऑरिजनैटर द्वारा नियंत्रित नहीं होगा।

बी. जब तक यह क्लीन-अप कॉल विकल्प के प्रयोग के माध्यम से नहीं किया जाता है, तब तक ऑरिजनैटर हस्तांतरित एक्सपोजर को पुनर्खरीद करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि क्लीन-अप कॉल के प्रयोग पर खरीदारी बाजार के नियमों और शर्तों (मूल्य/शुल्क सहित) पर स्वतंत्र संव्यवहार के अनुसार की जाती है और यह ऑरिजनैटर की सामान्य ऋण स्वीकृति और समीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन है;

सी. हस्तांतरित एक्सपोजर विधिक रूप से ऑरिजनैटर से इस तरह अलग होते हैं कि एक्सपोजर को ऑरिजनैटर या उसके लेनदारों को एक्सेस से बाहर रखा जाता है, यहां तक कि दिवाला (विशेष रूप से आईबीसी) या प्रशासन में भी।

डी. एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोट ऑरिजनैटर के दायित्व नहीं हैं। इस प्रकार, जो निवेशक प्रतिभूतिकरण नोट खरीदते हैं, उनके पास केवल अंतर्निहित एक्सपोजर का दावा होता है।

ई. एसपीई द्वारा हस्तांतरित एक्सपोजर के पर जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के धारकों को बिना किसी प्रतिबंध के उन्हें गिरवी रखने या व्यापार करने का अधिकार है, जब तक कि प्रतिबंध एक सांविधिक या विनियामकीय जोखिम प्रतिधारण आवश्यकता द्वारा नहीं लगाया जाता है।

एफ़. क्लीन-अप कॉल का विकल्प, यदि कोई हो, ऑरिजनैटर पर, रूप या सार में अनिवार्य नहीं होना चाहिए और यह ऑरिजनैटर के विवेक पर ही होना चाहिए।

जी. क्लीन-अप कॉल विकल्प, यदि कोई हो, का उपयोग ऋण संवर्धन या निवेशकों द्वारा धारित स्थिति या अन्यथा ऋण संवर्धन प्रदान करने के लिए संरचित हानि से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि यदि क्लीन-अप कॉल, जब प्रयोग के दौरान, ऋण संवर्धन के रूप में कार्य करने के लिए पाया जाता है (उदाहरण के लिए, अपचारी अंतर्निहित एक्सपोजर खरीदने के लिए), तो उसे ऑरिजनैटर द्वारा क्लीन-अप कॉल के उपयोग को प्रदान किए गए निहित समर्थन का एक रूप माना जाना चाहिए।

एच. जिस सीमा पर क्लीन-अप कॉल लागू हो जाती हैं, वह अंतर्निहित एक्सपोजर या प्रतिभूतिकरण नोटों के मूल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आई. प्रतिभूतिकरण में ऐसे खंड शामिल नहीं हैं जहां इन निदेशों में विशेष रूप से अनुमत शर्तों को छोड़कर, अंतर्निहित ऋण गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति में पूल की ऋण गुणवत्ता में सुधार के लिए अंतर्निहित एक्सपोजर को बदलने या फिर से भरपाई के लिए ऑरिजनैटर की आवश्यकता होती हो।

जे. यदि ऑरिजनैटर ऋण संवर्धन या प्रथम हानि सुविधा प्रदान करता है, तो प्रतिभूतिकरण संरचना स्थापना के बाद उपरोक्त स्थितियों में वृद्धि की अनुमति नहीं देगी।

के. प्रतिभूतिकरण में ऐसे खंड शामिल नहीं हैं जो अंतर्निहित पूल की ऋण गुणवत्ता में गिरावट होने पर, निवेशकों और ऋण संवर्धन के तृतीय-पक्ष प्रदाताओं जैसे ऑरिजनैटर के अलावा अन्य पार्टियों को देय प्रतिफल में वृद्धि करते हैं।

स्पष्टीकरण 1: यह प्रतिबंध निर्धारित करता है कि अंतर्निहित पूल की ऋण गुणवत्ता में गिरावट को पहले नुकसान या दूसरी हानि सुविधाओं, यदि उपलब्ध हो, और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की वरिष्ठता के कारण उपलब्ध सुरक्षा के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए, न कि इसमें वृद्धि से निवेशकों को भुगतान के जरिए।

स्पष्टीकरण 2: यह प्रतिबंध संदर्भ दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों के प्रतिफल में वृद्धि पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए अंतर्निहित ऋण बेंचमार्क किए जा सकते हैं।

एल. कर और विनियमन (विनियामक या टैक्स कॉल विकल्प) या प्रारंभिक परिशोधन प्रावधानों में विशिष्ट परिवर्तनों के लिए पात्र क्लीन-अप कॉल विकल्प या समाप्ति प्रावधानों को छोड़कर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए कोई समाप्ति विकल्प या ट्रिगर नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि प्रारंभिक परिशोधन प्रावधान अन्य निवेशकों के हित के लिए मूल में ऑरिजनैटर के वरिष्ठ या समान हित को गौण नहीं करते हैं, न ही ऑरिजनैटर के गौण हित को अन्य पक्षों के हित के सापेक्ष और भी अधिक सीमा तक गौण करते हैं, न ही ऑरिजनैटर के एक्सपोजर में अन्य तरीकों से वृद्धि करते हैं, और अंतर्निहित एक्सपोजर से जुड़े हानि के लिए इस खंड के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

82. ऑरिजनैटर को विधिक राय प्राप्त करनी चाहिए कि यदि एक्सपोजर को जोखिम भारित आस्तियों की गणना से बाहर रखा जाना है तो क्या एक विशेष प्रयोजन इकाई को एक्सपोजर का हस्तांतरण उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

सी. जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए दृष्टिकोण

83. उधारदाता प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए प्रतिभूतिकरण बाह्य रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एसईसी-ईआरबीए) लागू करेंगे। गैर-रेटेड प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए, उधारदाता वास्तविक एक्सपोजर के बराबर पूंजी प्रभार बनाए रखेगा।

84. निर्धारित जोखिम भार के आधार पर परिकल्पित पूंजी प्रभार उन वास्तविक एक्सपोजर की सीमा के अधीन हैं, जिसके संबंध में पूंजी पर्याप्तता की गणना इस प्रकार की जा रही है कि किसी भी प्रतिभूतिकरण स्थिति के लिए पूंजी की आवश्यकता प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर राशि से अधिक न हो।
85. तथापि, ऑरिजनैटर अपने द्वारा धारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अनुमत कुल सीमा तक, पूंजी आवश्यकता के बराबर उस अधिकतम पूंजी आवश्यकता तक लागू कर सकता है, जिसका मूल्यांकन संपूर्ण अंतर्निहित ऋण एक्सपोजर के विरुद्ध किया गया होता, यदि उनका प्रतिभूतिकरण नहीं किया जाता।
86. जब कोई उधारदाता किसी प्रतिभूतिकरण को अंतर्निहित समर्थन प्रदान करता है, तो उसे कम से कम, प्रतिभूतिकरण लेनदेन से जुड़े सभी अंतर्निहित जोखिमों के विरुद्ध पूंजी धारण करनी चाहिए जैसे कि वे प्रतिभूतिकरण नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उधारदाताओं को बिक्री पर किसी भी लाभ को विनियामकीय पूंजी में माने जाने की अनुमति नहीं होगी।

डी. संपर्क बिंदु (ए) और अलगाव बिंदु (डी) का निर्धारण

87. संपर्क बिंदु (ए) उस सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर अंतर्निहित पूल के भीतर हानि को पहले प्रासंगिक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए आवंटित किया जाएगा। संपर्क बिंदु (ए) को शून्य और एक के बीच दशमलव मान के रूप में व्यक्त किया जाएगा और यह शून्य से अधिक के बराबर होगा और प्रतिभूतिकरण में अंतर्निहित एक्सपोजर के पूल के बकाया शेष के अनुपात को घटाकर सभी ट्रांच का बकाया शेष होगा जोकि प्रतिभूतिकरण में सभी अंतर्निहित एक्सपोजर के बकाया शेष के लिए एक्सपोजर सहित प्रासंगिक प्रतिभूतिकरण स्थिति वाली ट्रांच के लिए अधिमानी या समकक्ष होगा।
88. अलगाव बिंदु (डी) उस सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर अंतर्निहित पूल के भीतर हानि के परिणामस्वरूप ट्रांच के लिए मूलधन का कुल हानि शामिल होता है और जिसमें एक प्रासंगिक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर बना रहता है। अलगाव बिंदु (डी) को शून्य और एक के बीच दशमलव मान के रूप में व्यक्त किया जाएगा और यह शून्य से अधिक के बराबर होगा और प्रतिभूतिकरण में अंतर्निहित एक्सपोजर के पूल के बकाया शेष के अनुपात को घटाकर और प्रतिभूतिकरण में सभी अंतर्निहित एक्सपोजर के बकाया शेष के लिए प्रासंगिक प्रतिभूतिकरण स्थिति वाली ट्रांच से अधिमानी स्तर के सभी ट्रांचों के बकाया शेष को घटाकर किया जाएगा।
89. ए और डी की गणना के लिए, अति-संपार्श्विककरण और वित्त पोषित आरक्षित खातों को ट्रांच के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए; और इन आरक्षित खातों को बनाने वाली आस्तियों को अंतर्निहित आस्तियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ऋण संवर्धन प्रदान करने वाले निधिकृत आरक्षित खातों को ही केवल हानि-अवशोषित भाग के ट्रांच और अंतर्निहित आस्तियों के रूप में पहचाना जा सकता है।
90. गैर-निधिकृत आरक्षित खाते, जैसे कि अंतर्निहित एक्सपोजर (जैसे अप्राप्त अतिरिक्त स्प्रेड) से भविष्य की प्राप्तियों से वित्त पोषित किए जाने वाले और इन लिखतों से संबंधित ऋण संवर्धन प्रदान नहीं करने वाली आस्तियों को ए और डी की उपरोक्त गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
91. उधारदाताओं को माध्यम के बजाय लेन-देन के आर्थिक सार को ध्यान में रखना चाहिए और संरचना के आलोक में इन परिभाषाओं को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए।

ई. ट्रांच परिपक्वता का निर्धारण

92. जोखिम आधारित पूंजी उद्देश्यों के लिए, ट्रांच परिपक्वता (एम_टी) को उधारदाता के विवेक पर निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मापा जा सकता है:

ए. ट्रांच के संविदात्मक नकदी प्रवाह की रूपया भारत-औसत परिपक्वता के रूप में, जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है, जहां CF_t अवधि t में उधारकर्ता द्वारा संविदात्मक रूप से देय नकदी प्रवाह (मूल, ब्याज भुगतान और शुल्क) को दर्शाता है। संविदात्मक भुगतान बिना शर्त होना चाहिए और प्रतिभूतिकृत आस्तियों के वास्तविक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी बिना शर्त संविदात्मक भुगतान तिथियां उपलब्ध नहीं हैं, तो अंतिम विधिक परिपक्वता का उपयोग किया जाएगा।

$$M_T = \frac{\sum_t tCF_t}{\sum_t CF_t}$$

बी. ट्रांच की अंतिम विधिक परिपक्वता के आधार पर, जहां एम_एल ट्रांच की अंतिम विधिक परिपक्वता है। (एमटी और एमएल साल में हैं)

$$M_T = 1 + 0.8(ML - 1)$$

93. सभी मामलों में, एम_टी का एक वर्ष का फ्लोर और पांच वर्ष की सीमा होगी। पांच साल की अधिकतम सीमा केवल पूंजी गणना उद्देश्यों के लिए है और ट्रांच के लिए वास्तविक अनुमत परिपक्वता के लिए लागू नहीं है।

94. किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की परिपक्वता का निर्धारण करते समय, उधारदाताओं को उस अधिकतम अवधि को ध्यान में रखना चाहिए, जब वे प्रतिभूतिकृत आस्तियों से संभावित हानियों के संपर्क में आते हैं। ऐसे मामलों में जहां एक उधारदाता एक प्रतिबद्धता प्रदान करता है, उधारदाता को इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की परिपक्वता की गणना प्रतिबद्धता की संविदात्मक परिपक्वता के योग और ड्रॉ होने के बाद उधारदाता के आस्ति (यों) की सबसे लंबी परिपक्वता से युक्त एक्सपोजर के रूप में करनी चाहिए।

95. ऋण सुरक्षा लिखतों के लिए जो केवल उस लिखत की परिपक्वता तक होने वाली हानियों के एक्सपोजर में हैं, एक उधारदाता को लिखत की संविदात्मक परिपक्वता को लागू करने की अनुमति दी जाएगी और उसे सुरक्षात्मक स्थिति को देखने की आवश्यकता नहीं होगी।

एफ़. बैंकों (लघु वित्त बैंकों सहित) द्वारा प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण का निर्धारण

96. पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय बैंक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर खरीदे गए ऋण संरक्षण को निम्नलिखित के अधीन मान सकते हैं:

ए. संपार्श्विक मान्यता [1 जुलाई 2015 \(समय-समय पर संशोधित\) के "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 7.3.5 के तहत अनुमत सीमा तक सीमित है। एसपीई द्वारा गिरवी रखे गए पात्र संपार्श्विक को मान्यता दी जा सकती है;

बी. [1 जुलाई 2015 \(समय-समय पर संशोधित\) के "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 7.5.6 में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुरक्षा को मान्यता दी जा सकती है। एसपीई को पात्र गारंटर के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है; तथा

सी. जहां गारंटियां [1 जुलाई, 2015 \(समय-समय पर संशोधित\) के "बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 7.5 में निर्दिष्ट न्यूनतम परिचालन शर्तों को पूरा करती हैं, उधारदाताओं के लिए पूंजी

आवश्यकताओं की गणना में प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर हेतु इस तरह की ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सकता है।

97. जब कोई बैंक किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूर्ण (या यथानुपात) ऋण सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे अपनी पूंजी आवश्यकताओं की गणना इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कि वह प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के उस हिस्से को धारण करती है जिस पर उसने ऋण सुरक्षा प्रदान की है। (ट्रांच परिपक्वता की परिभाषा के अनुसार)
98. बशर्ते कि खंड 96 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है, पूर्ण (या समानुपातिक दर) ऋण सुरक्षा खरीदने वाला बैंक, सीआरएम ढांचे के अनुसार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर ऋण जोखिम न्यूनीकरण को पहचान सकता है।
99. सभी दृष्टिकोणों के तहत, निम्न-प्राथमिकता वाले उप-ट्रांच को गैर-अधिमानी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही सुरक्षा से पहले मूल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर खंड 5 के उप-खंड (v) में परिभाषित अधिमानी ट्रांच के रूप में योग्य हो।
100. परिपक्वता असंतुलन तब होता है जब बचाव (हेज) निधि की अवशिष्ट परिपक्वता अंतर्निहित एक्सपोजर से कम होती है। जब परिपक्वता असंतुलन के लिए विनियामक पूंजी स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर प्रतिभूति खरीदी जाती है, तो पूंजी आवश्यकता को [1 जुलाई 2015 \(समय-समय पर संशोधित\) को जारी "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 7.6 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। जब बचाव (हेज) किए जा रहे एक्सपोजर की परिपक्वता अलग-अलग हो, तो सबसे लंबी परिपक्वता का उपयोग किया जाना चाहिए।

जी. प्रतिभूतिकरण - बाहरी रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एसईसी-ईआरबीए)

101. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो बाहरी रूप से रेट किए गए हैं, प्रतिभूतिकरण बाहरी रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण (एसईसी-ईआरबीए) के तहत जोखिम-भारित आस्ति का निर्धारण खंड 102 से 104 द्वारा निर्धारित उचित जोखिम भार द्वारा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर राशियों को गुणा करके किया जाएगा बशर्ते कि निम्नलिखित परिचालन मानदंड पूरा किया गया है:
 - ए. जोखिम-भार के उद्देश्यों के लिए पात्र होने के लिए, बाहरी ऋण मूल्यांकन को ध्यान में रखना चाहिए और उधारदाता के सभी बकाया भुगतानों के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारदाता पर मूलधन और ब्याज दोनों बकाया हैं, तो मूल्यांकन को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए और मूलधन और ब्याज दोनों के समय पर पुनर्भुगतान से जुड़े ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करना चाहिए;
 - बी. बाह्य ऋण निर्धारण एक पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसी (सीआरए) से होना चाहिए, जैसा कि [1 जुलाई 2015 \(समय-समय पर संशोधित\) के "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 6 में प्रदान किया गया है। रेटिंग को सार्वजनिक रूप से सुलभ रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए और सीआरए के संक्रमण मैट्रिक्स में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, हानि और नकदी प्रवाह विश्लेषण के साथ-साथ अंतर्निहित रेटिंग मान्यताओं में बदलाव के प्रति रेटिंग की संवेदनशीलता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। नतीजतन, रेटिंग जो केवल लेन-देन के लिए पार्टियों को उपलब्ध कराई जाती हैं,

- इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं। इसके अलावा, पात्र सीआरए द्वारा प्रदान किया गया बाह्य ऋण मूल्यांकन छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- सी. पात्र सीआरए के पास प्रतिभूतिकरण का आकलन करने में एक प्रदर्शित विशेषज्ञता होनी चाहिए, जिसका सबूत मजबूत बाजार स्वीकृति से हो सकता है।
- डी. इसके अलावा, एक बैंक एक या अधिक ट्रांच के लिए एक बाहरी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए ऋण आकलन का उपयोग नहीं कर सकता है और अन्य बाहरी ऋण रेटिंग एजेंसी के अन्य स्थिति (पज़िशन) (चाहे बनाए रखा या खरीदा गया) के लिए उसी प्रतिभूतिकरण संरचना के भीतर उपयोग नहीं किया जा सकता है जिसे रेट किया जा सकता है या नहीं पहली बाहरी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा। जहां दो या दो से अधिक पात्र सीआरए का उपयोग किया जा सकता है और ये एक ही प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण जोखिम का अलग-अलग आकलन करते हैं, वहां [1 जुलाई 2015 का "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) का पैराग्राफ 6.7 लागू होगा।
- ई. जहां [1 जुलाई 2015 के "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 7.5.6 में परिभाषित पात्र गारंटर द्वारा विशिष्ट अंतर्निहित एक्सपोजर या संपूर्ण पूल के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) प्रदान किया जाता है और बाहरी में परिलक्षित होता है एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (एक्सपोजर) को सौंपा गया ऋण मूल्यांकन, उस बाहरी ऋण मूल्यांकन से जुड़े जोखिम भार का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी दोहरी गणना से बचने के लिए, कोई अतिरिक्त पूंजी पहचान की अनुमति नहीं है। यदि सीआरएम प्रदाता को एक पात्र गारंटर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो कवर किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को अनारक्षित माना जाना चाहिए।
- एफ. ऐसी स्थिति में जहां एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण पूरी तरह से किसी दिए गए ढांचे (जैसे आस्ति-समर्थित सुरक्षा ट्रांच) के भीतर एक विशिष्ट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की रक्षा करता है और यह सुरक्षा बाहरी ऋण मूल्यांकन में परिलक्षित होती है, उधारदाता को एक्सपोजर के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि यह अनारक्षित है और फिर [1 जुलाई 2015 \(समय-समय पर संशोधित\) के "मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली"](#) के पैरा 7 में उल्लिखित सीआरएम उपचार लागू करें।
- जी. एक उधारदाता को जोखिम-भारित उद्देश्यों के लिए किसी भी बाहरी ऋण मूल्यांकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जहां मूल्यांकन कम से कम आंशिक रूप से उधारदाता द्वारा प्रदान किए गए अवितीय समर्थन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उधारदाता आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां (एबीएस) खरीदता है, जहां वह एक गैर-निधिकृत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (जैसे चलनिधि सुविधा या ऋण संवर्धन) प्रदान करता है, और वह एक्सपोजर एबीएस पर ऋण मूल्यांकन निर्धारित करने में एक भूमिका निभाता है, तो उधारदाता को एबीएस से ऐसे व्यवहार करना चाहिए मानो इसे रेट नहीं किया गया हो। उधारदाता को अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा और/या ऋण संवर्धन पर) पर पूंजी धारण करना जारी रखना चाहिए।

102. अल्पकालिक रेटिंग वाले एक्सपोजर के लिए, निम्नलिखित जोखिम भार लागू होंगे:

अल्पकालिक रेटिंग के लिए ईआरबीए जोखिम भार				
बाहरी ऋण मूल्यांकन	ए1+/ए1	ए2	ए3	अन्य सभी रेटिंग
जोखिम भार	15%	50%	100%	1250%

103. लंबी अवधि की रेटिंग वाले एक्सपोजर के लिए, जोखिम भार इन पर निर्भर करता है:

- ए. बाहरी रेटिंग ग्रेड;
- बी. स्थिति (पज़िशन) की वरिष्ठता;
- सी. ट्रांच परिपक्वता; तथा
- डी. गैर-वरिष्ठ ट्रांच के मामले में, ट्रांच थिकनेस

104. विशेष रूप से, लंबी अवधि की रेटिंग वाले एक्सपोजर के लिए, जोखिम भार निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और इन निदेशों के खंड 105 में निर्धारित गैर-वरिष्ठ ट्रांचों के लिए ट्रांच परिपक्वता और ट्रांच थिकनेस के लिए समायोजित किया जाएगा।

लंबी अवधि की रेटिंग के लिए ईआरबीए जोखिम भार				
रेटिंग	वरिष्ठ ट्रांच		गैर-वरिष्ठ (पतली) ट्रांच	
	ट्रांच परिपक्वता (एम_टी)		ट्रांच परिपक्वता (एम_टी)	
	1 साल	5 साल	1 साल	5 साल
एएए	15%	20%	15%	70%
एए+	15%	30%	15%	90%
एए	25%	40%	30%	120%
एए-	30%	45%	40%	140%
ए+	40%	50%	60%	160%
ए	50%	65%	80%	180%
ए-	60%	70%	120%	210%
बीबीबी+	75%	90%	170%	260%
बीबीबी	90%	105%	220%	310%
बीबीबी-	120%	140%	330%	420%
बीबी+	140%	160%	470%	580%
बीबी	160%	180%	620%	760%
बीबी-	200%	225%	750%	860%
बी+	250%	280%	900%	950%
बी	310%	340%	1050%	1050%
बी-	380%	420%	1130%	1130%
सीसीसी+/सीसीसी/सीसीसी-	460%	505%	1250%	1250%
सीसीसी के नीचे-	1250%	1250%	1250%	1250%

105. एसईसी-ईआरबीए लागू करते समय एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को सौंपे गए

जोखिम भार की गणना निम्नानुसार की जाती है ⁱⁱ:

ए. ट्रांच परिपक्वता के लिए, उधारदाताओं को एक और पांच साल के लिए जोखिम भार के बीच रैखिक प्रक्षेप का उपयोग करना होगा।

बी. ट्रांच थिकनेस के हिसाब से, उधारदाता गैर-वरिष्ठ ट्रांच के लिए जोखिम भार की गणना निम्नानुसार करेंगे:

जोखिम भार = (परिपक्वता के लिए समायोजन के बाद तालिका से जोखिम भार) * (1 – न्यूनतम(टी, 50%))

जहां टी ट्रांच थिकनेस है।

106. मुद्रा या ब्याज दर स्वैप जैसे बाजार एक्सपोजर बचाव (हेज) के मामले में, जोखिम भार का अनुमान एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से लगाया जाएगा जो स्वैप के समान है या, यदि ऐसा एक्सपोजर मौजूद नहीं है, तो अगले अधीनस्थ ट्रांच से।

107. परिणामी जोखिम भार 15% के न्यूनतम जोखिम भार के अधीन है। इसके अलावा, परिणामी जोखिम भार समान रेटिंग और परिपक्वता के साथ समान प्रतिभूतिकरण के एक वरिष्ठ ट्रांच के अनुरूप जोखिम भार से कम नहीं होना चाहिए।

लघु, पारदर्शी और तुलनात्मक (एसटीसी) प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक पूंजी उपचार

108. अल्पकालिक रेटिंग वाले एक्सपोजर के लिए, निम्नलिखित जोखिम भार लागू होंगे:

अल्पकालिक रेटिंग के लिए ईआरबीए एसटीसी जोखिम भार				
बाहरी ऋण मूल्यांकन	ए1+/ए1	ए2	ए3	अन्य सभी रेटिंग
जोखिम भार	10%	30%	60%	1250%

109. लंबी अवधि की रेटिंग वाले एक्सपोजर के लिए, जोखिम भार निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और ट्रांच परिपक्वता के लिए समायोजित किया जाएगा, और खंड 105 के अनुसार गैर-वरिष्ठ ट्रांच के लिए ट्रांच थिकनेस समायोजित किया जाएगा।

लंबी अवधि की रेटिंग के लिए ईआरबीए एसटीसी जोखिम भार				
रेटिंग	वरिष्ठ ट्रांच		गैर-वरिष्ठ (पतली) ट्रांच	
	ट्रांच परिपक्वता (एम_टी)		ट्रांच परिपक्वता (एम_टी)	
	1 वर्ष	5 वर्ष	1 वर्ष	5 वर्ष
एएए	10%	10%	15%	40%
एए+	10%	15%	15%	55%
एए	15%	20%	15%	70%
एए -	15%	25%	25%	80%
ए+	20%	30%	35%	95%
ए	30%	40%	60%	135%
ए-	35%	40%	95%	170%

ⁱⁱ जोखिम भार की गणना के लिए एक उदाहरणात्मक उदाहरण अनुबंध 4 में दिया गया है।

बीबीबी+	45%	55%	150%	225%
बीबीबी	55%	65%	180%	255%
बीबीबी -	70%	85%	270%	345%
बीबी+	120%	135%	405%	500%
बीबी	135%	155%	535%	655%
बीबी -	170%	195%	645%	740%
बी+	225%	250%	810%	855%
बी	280%	305%	945%	945%
बी-	340%	380%	1015%	1015%
सीसीसी+/सीसीसी/सीसीसी-	415%	455%	1250%	1250%
सीसीसी के नीचे-	1250%	1250%	1250%	1250%

110. परिणामी जोखिम भार वरिष्ठ ट्रांचों के लिए 10% और गैर-वरिष्ठ ट्रांचों के लिए 15% के न्यूनतम जोखिम भार के अधीन है।

अध्याय VII: प्रकटीकरण

111. जहां कहीं भी तीसरे पक्ष की सर्विसिंग एजेंट सेवा का लाभ उठाया गया है, ऑरिजनैटर यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित आवृत्ति और कठोरता के साथ निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए मजबूत और विधिक रूप से बाध्यकारी सूचना साझाकरण तंत्र मौजूद हैं। तृतीय-पक्ष संस्थाओं से डेटा प्राप्त करने के ऐसे मामलों में, ऑरिजनैटर को संबंधित तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अधिमानतः एक वर्ष से अधिक की आवृत्ति पर।

ए. सर्विसर/ निवेशक/ न्यासी रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटीकरण

112. ऑरिजनैटरों को निवेशकों को प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसत धारण अवधि और प्रतिभूतिकरण में उनके एमआरआर के स्तर का प्रकटीकरण करना चाहिए।
113. ऑरिजनैटर (ओं) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संभावित निवेशकों के पास ऋण गुणवत्ता और व्यक्तिगत अंतर्निहित एक्सपोजर के प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के साथ-साथ ऐसी जानकारी पर सभी भौतिक रूप से प्रासंगिक डेटा तक पहुँच आसानी से उपलब्ध है जो अंतर्निहित एक्सपोजर का समर्थन करने वाले नकदी प्रवाह और संपार्श्विक मूल्यों पर व्यापक और अच्छी तरह से सूचित तनाव परीक्षण करने के लिए आवश्यक है।
114. एमएचपी और एमआरआर की पूर्ति के ऑरिजनैटर द्वारा प्रकटीकरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए; उदाहरण के लिए, उस प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम के तहत जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के लिए प्रॉस्पेक्टस में प्रतिधारण प्रतिबद्धता के संदर्भ को उपयुक्त माना जाएगा। प्रकटीकरण लेनदेन की शुरुआत में किया जाना चाहिए, और उसके बाद कम से कम छमाही (सितंबर के अंत और मार्च) में पुष्टि की जानी चाहिए, और किसी भी बिंदु पर जहां आवश्यकता का उल्लंघन होता है।

उपरोक्त आवधिक प्रकटीकरण प्रत्येक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए, उसके जीवन भर, सर्विसर रिपोर्ट, निवेशक रिपोर्ट, न्यासी रिपोर्ट, या प्रकाशित किसी भी समान दस्तावेज़ में अलग से किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकटीकरण अनुबंध 2 में दिए गए प्रारूप में किया जा सकता है। ये प्रकटीकरण लेन-देन के पूरे जीवन में प्रत्येक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए अलग से किया जाना चाहिए।

बी. खातों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण

116. ऑरिजनैटरों के वार्षिक खातों की टिप्पणियों में एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तारीख को ऑरिजनैटर द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। ये आंकड़े एसपीई से ऑरिजनैटर द्वारा प्राप्त एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए।

117. ये खुलासे अनुबंध 3 में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

सी. रिज़र्व बैंक को लेनदेन की रिपोर्टिंग

118. ऑरिजनैटर को जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के विवरण सहित किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन का विवरण भी तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए प्रारूप अलग से सूचित किया जाएगा और उसमें दी गई तारीख से प्रभावी होगा।

अध्याय VI: परिपत्रों का निरसन

119. तत्काल प्रभाव से निरसित किए गए परिपत्रों/ निदेशों/ दिशानिर्देशों की सूची नीचे दी गई है:

क्र.	परिपत्र संख्या	जारी करने की तारीख	विषय
1.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.60/ 21.04.048/2005-06	01.02.2006	मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश
2.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.- 103/21.04.177/2011-12	07.05.2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन
3	डीएनबीएस.पीडी.सं.301/3.10.01/2012-13	21.08.2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन
4	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.- 25/21.04.177/2013-14	01.07.2013	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण संवर्धन का रीसेट
5	डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.372/3.10.01/2013-14	24.03.2014	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण संवर्धन का रीसेट
6	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 का पैरा 4.4.5, 5.16	01.07.2015	मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली

सरल, पारदर्शी और तुलनीय प्रतिभूतिकरण - विनियामकीय पूंजी उद्देश्यों के लिए मानदंड
 एक प्रतिभूतिकरण के लिए खंड 108 से 110 द्वारा निर्धारित वैकल्पिक विनियामकीय पूंजी उपचार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए।

आस्तियों की प्रकृति

1. प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत आस्तियां समरूप ऋण दावे या पात्र प्राप्य अध्याय II के भाग ए के तहत होनी चाहिए। ऋण दावों या प्राप्य में मूलधन, ब्याज, या मूलधन और ब्याज भुगतान से संबंधित आवधिक भुगतान धाराओं की संविदात्मक पहचान होनी चाहिए। कोई भी संदर्भित ब्याज भुगतान या छूट दरें बाहरी बेंचमार्क पर आधारित होनी चाहिए।

2. इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए "एकरूपता" मानदंड का मूल्यांकन किया जाना चाहिए:

ए. आस्तियों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि निवेशकों को प्रत्येक आस्ति का जोखिम विश्लेषण और उचित परिश्रम जांच करते समय भौतिक रूप से भिन्न विधिक और/या ऋण जोखिम कारकों और जोखिम प्रोफाइल का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता न हो।

बी. समान जोखिम कारकों और जोखिम प्रोफाइल सहित सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर समरूपता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

सी. प्रतिभूतिकरण में शामिल ऋण दावों या प्राप्तियों में भुगतान के अधिकार और/या आस्ति से आय के संदर्भ में मानक दायित्व होने चाहिए और इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को भुगतान की एक आवधिक और अच्छी तरह से परिभाषित धारा होनी चाहिए।

डी. नोटधारकों की चुकौती मुख्य रूप से प्रतिभूतिकृत आस्तियों से मूलधन और ब्याज आय पर निर्भर होनी चाहिए। एक्स्पोज़र को सुरक्षित करने वाली आस्ति के पुनर्वित्त या पुनर्विक्रय पर आंशिक निर्भरता हो सकती है बशर्ते कि पुनर्वित्त पूल के भीतर पर्याप्त रूप से वितरित किया गया हो और शेष मूल्य जिस पर लेनदेन निर्भर करता है वह पर्याप्त रूप से कम है और पुनर्वित्त पर निर्भरता इस प्रकार पर्याप्त नहीं है।

आस्ति निष्पादन इतिहास

3. निवेशकों को एक आस्ति वर्ग पर पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए उचित सावधानी बरतने और पर्याप्त रूप से समृद्ध डेटा सेट तक एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न दबाव परिदृश्यों में अपेक्षित नुकसान की अधिक सटीक गणना को सक्षम करने के लिए, सत्यापन योग्य हानि प्रदर्शन डेटा, जैसे कि अपचार और चूक डेटा, निवेशकों द्वारा सार्थक मूल्यांकन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त समय अवधि के लिए पर्याप्त रूप से समान जोखिम विशेषताओं वाले ऋण दावों और प्राप्य राशियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

4. डेटा के स्रोत और एक्सेस और प्रतिभूतिकृत किए जा रहे ऋण दावों या प्राप्तियों के समानता का दावा करने का आधार सभी बाजार सहभागियों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।

5. प्रतिभूतिकरण के ऑरिजनैटर या प्रतिभूतिकृत किए गए जोखिमों के मूल उधारदाता, जैसा भी मामला हो, के पास प्रतिभूतिकृत के समान एक्स्पोज़र उत्पन्न करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। पूंजीगत उद्देश्यों के लिए, निवेशकों को यह निर्धारित करना होगा कि प्रतिभूतिकृत किए जा रहे लोगों के लिए काफी हद तक समान दावों या प्राप्तियों के लिए ऑरिजनैटर का प्रदर्शन

इतिहास "उचित लंबी अवधि" के लिए स्थापित किया गया है या नहीं। गैर-खुदरा एक्सपोजर के लिए यह प्रदर्शन इतिहास सात साल की अवधि से कम नहीं होना चाहिए। खुदरा एक्सपोजर के लिए, न्यूनतम प्रदर्शन इतिहास पांच वर्ष है।

भुगतान की स्थिति

6. एसपीई को हस्तांतरित किए जा रहे ऋण दावों या प्राप्तियों में, पूल में शामिल होने के समय, दायित्वों को शामिल नहीं किया जा सकता है जो चूक या अपचारी हैं या जिन दायित्वों के लिए ऑरिजनैटर, सेवाप्रदाता और प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के प्रति न्यासी जिम्मेदारी वाले अन्य पक्ष ऐसे साक्ष्य से अवगत हैं जो अपेक्षित हानियों या प्रवर्तन कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देते हैं।
7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूतिकृत ऋण दावों और प्राप्तियों की गुणवत्ता हामीदारी मानकों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, ऑरिजनैटर को निवेशकों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि एसपीई को हस्तांतरित किए जा रहे किसी भी ऋण दावे या प्राप्तियों को मूल रूप से गैर-बिगड़ती हामीदारी मानकों के लिए ऑरिजनैटर के व्यवसाय के सामान्य रूप में उत्पन्न किया गया है।
8. ऑरिजनैटर को यह सत्यापित करना चाहिए कि अंतर्निहित ऋण दावे या प्राप्य निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं::
 - ए. [7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे](#) में परिभाषित ऋण दावे या प्राप्तियां निगरानी अवधि के अंतर्गत नहीं हैं।;
 - बी. देनदार के पास ऋण रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट स्कोर द्वारा कोई ऋण मूल्यांकन नहीं है जो चूक के एक महत्वपूर्ण जोखिम को दर्शाता है; तथा
 - सी. ऋण दावा या प्राप्य देनदार और ऑरिजनैटर के बीच विवाद के अधीन नहीं है।
9. इन शर्तों का मूल्यांकन ऑरिजनैटर द्वारा प्रतिभूतिकरण के प्रभावी होने की तारीख से 45 दिन पहले नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस मूल्यांकन के समय, ऑरिजनैटर के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए, ऋण दावे या प्राप्य के प्रदर्शन की स्थिति में संभावित गिरावट का संकेत देने वाला कोई सबूत नहीं होना चाहिए।

हामीदारी की संगति

10. हामीदारी मानक, तुलनपत्र (बैलेंस शीट) पर रखे गए ऋण दावों और प्राप्य राशियों पर लागू होने वाले मानकों से कम कड़े नहीं होने चाहिए। सभी परिस्थितियों में, सभी ऋण दावों या प्राप्तियों को एक आकलन के आधार पर सुदृढ़ और विवेकपूर्ण हामीदारी अंकन मानदंड के अनुसार उत्पन्न किया जाना चाहिए कि बाध्यकर्ता के पास अपने दायित्वों पर "समय पर भुगतान करने की क्षमता और इच्छा" है।
11. प्रतिभूतिकरण के ऑरिजनैटर से अपेक्षा की जाती है, जहां अंतर्निहित ऋण दावे या प्राप्य तृतीय पक्षों से प्राप्त किए गए हैं, इन तृतीय पक्षों के हामीदारी मानकों (अर्थात उनके अस्तित्व की जांच करने और उनकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए) की समीक्षा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने बाध्यताओं की "दायित्वों पर समय पर भुगतान करने की क्षमता और इच्छा" बाध्यताओं की "दायित्वों पर समय पर भुगतान करने की क्षमता और इच्छा" का मूल्यांकन किया है।

आस्ति का चयन और हस्तांतरण

12. जबकि एक प्रतिभूतिकरण को हस्तांतरित आस्तियों ऑरिजनैटर के बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के अधीन होंगी, प्रतिभूतिकरण का प्रदर्शन प्रतिभूतिकरण के अंतर्निहित पोर्टफोलियो के विवेकाधीन आधार पर सक्रिय प्रबंधन के माध्यम से आस्तियों के चल रहे चयन पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

व्याख्या: जब तक वे सक्रिय रूप से चयनित नहीं होते हैं या अन्यथा विवेकाधीन आधार पर चेरी-पिक नहीं किए जाते हैं, तो पुनःपूर्ति अवधि के दौरान ऋण दावों या प्राप्तियों को जोड़ना या प्रतिनिधित्व और वारंटी के उल्लंघन के कारण उनके प्रतिस्थापन या पुनर्खरीद सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

13. प्रतिभूतिकरण के लिए हस्तांतरित किए गए ऋण दावे या प्राप्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। जिस तारीख को प्रतिभूतिकरण प्रभावी हो जाता है, उस तिथि के बाद एक प्रतिभूतिकरण को हस्तांतरित किए गए ऋण दावों या प्राप्तियों को सक्रिय रूप से नहीं चुना जा सकता है, सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है या अन्यथा विवेकाधीन आधार पर चेरी पिक किया जा सकता है।

14. प्रतिभूतिकरण ऐसा होना चाहिए कि अंतर्निहित ऋण दावे या प्राप्तियां:

ए) बाध्यता पर प्रवर्तनीय हैं और उनकी प्रवर्तनीयता ऑरिजनैटर के अभ्यावेदन और वारंटी में शामिल है;

बी) विक्रेता, उसके लेनदारों या परिसमापकों के एक्सेस से बाहर हैं और सामग्री पुनः विशेषता या क्लॉबैक जोखिम के अधीन नहीं हैं;

सी) ऋण चूक अदला-बदली, व्युत्पत्नी (डेरिवेटिव) या गारंटियों के माध्यम से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ऋण दावों या प्राप्तियों के हस्तांतरण द्वारा प्रतिभूतिकरण के लिए;

डी) अंतर्निहित ऋण दावों या प्राप्तियों के लिए अंतिम दायित्व के लिए प्रभावी सहारा प्रदर्शित करता है और अन्य प्रतिभूतियों का प्रतिभूतिकरण नहीं है; तथा

ई) विनियामकीय पूंजी उद्देश्यों के लिए, एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष विधिक राय को इस दावे का समर्थन करना चाहिए कि लागू कानूनों के तहत आस्ति का हस्तांतरण उपरोक्त उप-खंडों का अनुपालन करता है।

15. ऑरिजनैटर को अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करनी चाहिए कि एसपीई को हस्तांतरित किए जा रहे ऋण दावे या प्राप्य किसी भी शर्त या भार के अधीन नहीं हैं जो कि बकाया संग्रह के संबंध में प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

16. नए प्रस्ताव में निवेश करने से पहले निवेशकों को उचित सावधानी बरतने में सहायता करने के लिए, लागू कानूनों के अनुसार पर्याप्त ऋण-स्तरीय डेटा या, ग्रांनुलर पूल के मामले में, अंतर्निहित पूल की प्रासंगिक जोखिम विशेषताओं पर सारांश स्तरीकरण डेटा होना चाहिए प्रतिभूतिकरण के मूल्य निर्धारण से पहले संभावित निवेशकों के लिए उपलब्ध हो।

प्रारंभिक और चालू डेटा

17. निवेशकों को अपने निवेश के प्रदर्शन की उचित और निरंतर निगरानी करने में सहायता करने के लिए और ताकि निवेशक जो द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतिकरण खरीदना चाहते हैं, उनके पास लागू कानूनों के अनुसार समुचित सावधानी, समय पर ऋण-स्तरीय डेटा का संचालन करने के लिए पर्याप्त जानकारी हो या अंतर्निहित पूल की जोखिम विशेषताओं पर ग्रांनुलर पूल

स्तरीकरण डेटा और मानकीकृत निवेशक रिपोर्ट प्रतिभूतिकरण के पूरे समय में कम से कम त्रैमासिक वर्तमान और संभावित निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ऋण-स्तर या ग्रांनुलर पूल स्तरीकरण डेटा की कट-ऑफ तिथियां निवेशक रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तारीखों के साथ संरेखित की जानी चाहिए।

18. आश्वासन का एक स्तर प्रदान करने के लिए कि अंतर्निहित ऋण दावों या प्राप्तियों की रिपोर्टिंग सटीक है और अंतर्निहित ऋण दावे या प्राप्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रारंभिक पोर्टफोलियो की समीक्षा एक उपयुक्त विधिक रूप से जवाबदेह और स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा पात्रता आवश्यकताओं के अनुरूप की जानी चाहिए।

व्याख्या: समीक्षा में यह पुष्टि होनी चाहिए कि एसपीई को हस्तांतरित किए गए ऋण दावे या प्राप्य पोर्टफोलियो पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, समीक्षा प्रारंभिक पोर्टफोलियो के प्रतिनिधि नमूने पर न्यूनतम आत्मविश्वास स्तर लागू करने के साथ की जा सकती है। सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके परिणाम, किसी भी सामग्री अपवाद सहित, प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेज़ीकरण में प्रकट किए जाने चाहिए।

मोचन नकदी प्रवाह

19. यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि अंतर्निहित ऋण दावों या प्राप्य को थोड़े समय के लिए पुनर्वित्त की आवश्यकता नहीं है, देयताओं को चुकाने के लिए अंतर्निहित ऋण दावों या प्राप्तियों की बिक्री या पुनर्वित्त पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए एसपीई, जब तक कि ऋण दावों या प्राप्तियों का अंतर्निहित पूल पर्याप्त रूप से विस्तृत न हो और पर्याप्त रूप से वितरित पुनर्भुगतान प्रोफाइल न हो। मोचन भुगतान का समर्थन करने के लिए निर्दिष्ट आस्तियों से आय प्राप्त करने के अधिकार को इस संबंध में पात्र ऋण दावों या प्राप्य के रूप में माना जाना चाहिए

मुद्रा और ब्याज दर आस्ति और देयता बेमेल

20. विभिन्न ब्याज दर और आस्तियों और देयताओं की मुद्रा प्रोफाइल से उत्पन्न भुगतान जोखिम को कम करने के लिए और नकदी प्रवाह को मॉडल करने के लिए निवेशकों की क्षमता में सुधार करने के लिए, ब्याज दर और विदेशी मुद्रा जोखिम को हर समय उचित रूप से कम किया जाना चाहिए, और यदि कोई बचाव (हेजिंग) लेनदेन निष्पादित किया जाता है लेन-देन को उद्योग-मानक मास्टर करार के अनुसार प्रलेखित किया जाना चाहिए। केवल आस्ति की वास्तविक बचाव (हेजिंग) के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) और ब्याज दर और / या मुद्रा की देयता बेमेल की अनुमति दी जानी चाहिए।

- ए. पूंजीगत उद्देश्यों के लिए, "उचित रूप से कम" शब्द को समझा जाना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरी तरह से पूर्ण बचाव (हेजिंग) की आवश्यकता हो। लेन-देन समय के माध्यम से ब्याज दर और विदेशी मुद्रा के शमन की उपयुक्तता संभावित निवेशकों को समयपर और नियमित तरीके से उपलब्ध कराकर प्रदर्शित की जानी चाहिए, मात्रात्मक जानकारी जिसमें बचाव (हेज) की गई काल्पनिक राशियों के अंश के साथ-साथ संवेदनशीलता भी शामिल है। विश्लेषण जो अत्यधिक लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों के तहत बचाव (हेज) की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- बी. यदि व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) के माध्यम से बचाव (हेज) नहीं किया जाता है, तो उन जोखिम-शमन उपायों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वे विशेष रूप से किसी व्यक्ति और विशिष्ट जोखिम को बचाव (हेजिंग) के उद्देश्य से बनाए और उपयोग किए जाते हैं, न कि एक

ही समय में कई जोखिम (जैसे ऋण और ब्याज दर जोखिम)। गैर-व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) जोखिम शमन उपायों को पूरी तरह से वित्त पोषित और हर समय उपलब्ध होना चाहिए।

भुगतान प्राथमिकताएं और अवलोकनीयता

- 21 निवेशक रिपोर्ट में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो निवेशकों को ट्रिगर के अधीन संकेतकों के समय के साथ विकास की निगरानी करने की अनुमति देती है। भुगतान तिथियों के बीच उल्लंघन किए गए किसी भी ट्रिगर को सभी अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार समय पर निवेशकों के सामने प्रकट किया जाना चाहिए।
- 22 प्रदर्शन से संबंधित ट्रिगर की घटना के बाद, चूक या त्वरण घटना की घटना के बाद, ट्रांच वरिष्ठता के क्रम में, प्रतिभूतिकरण स्थिति (पज़िशन) को भुगतान की अनुक्रमिक परिशोधन प्राथमिकता के अनुसार चुकाया जाना चाहिए, और इसमें आवश्यक प्रावधान नहीं होने चाहिए बाजार मूल्य पर अंतर्निहित आस्तियों का तत्काल परिसमापन।
- 23 प्रतिभूतिकरण के नकदी प्रवाह वॉटरफॉल को उचित रूप से मॉडल करने की उनकी क्षमता में निवेशकों की सहायता करने के लिए, ऑरिजनैटर को निवेशकों को प्रतिभूतिकरण के मूल्य निर्धारण से पहले और निरंतर आधार पर, प्रतिभूतिकरण नकदी प्रवाह वॉटरफॉल के उपयुक्त मॉडलिंग की अनुमति देने वाले प्रावधान पर एक देयता नकदी प्रवाह मॉडल या नकदी प्रवाह पर जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।
- 24 यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण माफी, ऋण अधिस्थगन, भुगतान अवकाश, पुनर्गठन और अन्य आस्ति प्रदर्शन उपायों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है, नीतियों और प्रक्रियाओं, परिभाषाओं, उपायों और कार्यों से संबंधित देयताओं, चूक या अंतर्निहित देनदारों के पुनर्गठन को स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और सुसंगत शर्तों, जैसे कि निवेशक निरंतर आधार पर ऋण माफी, ऋण अधिस्थगन, भुगतान अवकाश, पुनर्गठन और अन्य आस्ति प्रदर्शन उपायों की स्पष्ट रूप से पहचान कर सकते हैं।

मतदान और प्रवर्तन अधिकार

- 25 नोट धारकों के लिए उनके अधिकारों की स्पष्टता सुनिश्चित करने और अंतर्निहित ऋण दावों या प्राप्तियों पर नियंत्रण और लागू करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, ऑरिजनैटर के दिवालिया होने पर, ऋण दावों या प्राप्तियों से संबंधित सभी मतदान और प्रवर्तन अधिकार एसपीई को हस्तांतरित किए जाने चाहिए। प्रतिभूतिकरण में निवेशकों के अधिकारों को सभी परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ बनाम कनिष्ठ नोट धारकों के अधिकार भी शामिल हैं।

दस्तावेज़ीकरण प्रकटीकरण और विधिक समीक्षा

- 26 निवेशकों को एक नए प्रस्ताव में निवेश करने से पहले नियमों, शर्तों, विधिक और वाणिज्यिक जानकारी को पूरी तरह से समझने में मदद करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जानकारी सभी कार्यक्रमों और पेशकशों के लिए स्पष्ट और प्रभावी तरीके से निर्धारित की गई है, पर्याप्त प्रारंभिक प्रस्ताव और मसौदा अंतर्निहित दस्तावेज निवेशकों को (और निरंतर आधार पर संभावित निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध) मूल्य निर्धारण से पहले पर्याप्त समय के भीतर या विधिक रूप से स्वीकार्य होने पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसे कि निवेशक देयताओं को विधिक और वाणिज्यिक के पूर्ण प्रकटीकरण के साथ सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना और व्यापक जोखिम कारक प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेज़ का आम तौर पर अर्थ होगा मसौदा प्रस्ताव परिपत्र, मसौदा प्रस्ताव ज्ञापन, मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज़ या मसौदा विवरणिका, जैसे "लाल हेरिंग" जबकि मसौदा अंतर्निहित दस्तावेज़ का आम तौर पर मतलब होगा, परिसंपत्ति बिक्री समझौता, समनुदेशन, नवीयन या अंतरण करार; सर्विसिंग, बैकअप सर्विसिंग, प्रशासन और नकद प्रबंधन करार; न्यास / प्रबंधन विलेख, प्रतिभूति विलेख, एजेंसी करार, अकाउंट बैंक करार, गारंटीकृत निवेश करार, इसमें शामिल शर्तें या मास्टर न्यास ढांचा या मास्टर परिभाषा करार जो भी लागू हो; कोई भी प्रासंगिक अंतर-लेनदार करार, स्वैप या डेरीवेटिव दस्तावेज़, अधीनस्थ ऋण करार, स्टार्ट-अप ऋण करार और चलनिधि सुविधा करार; और विधिक राय सहित किसी भी अन्य प्रासंगिक अंतर्निहित दस्तावेज़।

- 27 अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज़ अंतिम तिथि उपलब्ध होना चाहिए और सभी अंतिम अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेजों उसके बाद तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। इसे इस तरह की जानी चाहिए कि पाठक आसानी से प्राप्त कर सकें, समझ सकें और प्रासंगिक जानकारी का उपयोग कर सकें।

प्रत्ययी और संविदात्मक जिम्मेदारियां

- 28 यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सभी दस्तावेज़ प्रकाशन से पहले उचित समीक्षा के अधीन रहे हैं, प्रतिभूतिकरण के नियमों और प्रलेखन की समीक्षा उचित रूप से अनुभवी तृतीय पक्ष के विधिक फर्म द्वारा की जानी चाहिए, जैसे कि लेनदेन पक्षों में से किसी एक द्वारा पहले से दिए विधिक सलाह के अनुरूप हो। निवेशकों को ऐसे दस्तावेजों में किसी भी परिवर्तन को समय पर सूचित किया जाना चाहिए जो प्रतिभूतिकरण में संरचनात्मक जोखिमों पर प्रभाव डालते हैं।
- 29 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्विसर के पास व्यापक विशेषज्ञता, पूर्ण विधिक और संपार्श्विक ज्ञान और हानि न्यूनीकरण में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे पक्षों को व्यापक उद्योग अनुभव के साथ एक प्रबंधन टीम द्वारा समर्थित अंतर्निहित ऋण दावों या प्राप्तियों की सर्विसिंग में विशेषज्ञता प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। सर्विसर को हर समय उचित और विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार कार्य करना चाहिए।
- 30 नीतियों, प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन नियंत्रण ठीक तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए और श्रेष्ठ बाज़ार प्रथाओं और प्रासंगिक विनियामकीय व्यवस्थाओं का पालन किया जाना चाहिए। मजबूत प्रणाली और रिपोर्टिंग क्षमताएं उपस्थित होना चाहिए। यह आकलन करने में कि क्या पूंजीगत प्रयोजनों के लिए "मजबूत प्रणालियां और रिपोर्टिंग क्षमताएं मौजूद हैं" ठीक तरह से प्रलेखित नीतियां, प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन नियंत्रण, साथ ही मजबूत प्रणालियां और रिपोर्टिंग क्षमताएं, तृतीय पक्ष की समीक्षा से प्रमाणित हो सकती हैं।
- 31 प्रत्ययी उत्तरदायित्व वाली पार्टियां या पार्टियों को प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के सर्वोत्तम हित में समय पर कार्य करना चाहिए, और प्रारंभिक प्रस्ताव और सभी अंतर्निहित दस्तावेज़ दोनों में ट्रस्टियों द्वारा नोट धारकों के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्षों के लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक समाधान समय पर होना सुनिश्चित करने वाले प्रावधान होने चाहिए।

- 32 प्रतिभूतिकरण और निवेशकों के लिए प्रत्ययी जिम्मेदारी वाले पार्टि या पार्टियों को पर्याप्त कौशल और संसाधनों का प्रदर्शन करने, एसपीई के प्रशासन के अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए ।
- 33 इस संभावना को बढ़ाने के लिए कि निवेशकों तथा सर्विसर के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारी वाले लोग समय पर अपने कर्तव्यों का पूरा निष्पादन करते हैं, इसके लिए पारिश्रमिक ऐसा होना चाहिए कि इन पार्टियों को पर्याप्त रूप में प्रोत्साहित करने लायक हो और वे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से और समयबद्ध आधार पर पूरा कर सकें।

निवेशकों के लिए पारदर्शिता

- 34 निवेशकों को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करने में मदद करने के लिए, निवेशकों को उनके उचित परिश्रम के संचालन में सहायता करने के लिए और निवेशकों को नकदी प्रवाह संग्रह और सर्विसिंग में अप्रत्याशित अवरोधों के अधीन होने से रोकने के लिए, प्रतिभूतिकरण के सभी प्रमुख पक्षों के संविदात्मक दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, दोनों एक प्रत्ययी जिम्मेदारी और सहायक सेवा प्रदाताओं के साथ, प्रारंभिक प्रस्ताव और सभी अंतर्निहित दस्तावेज़ दोनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- स्पष्टीकरण:* इस खंड के उद्देश्य के लिए, "प्रारंभिक पेशकश" और "अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेज" का एक ही अर्थ होगा जो इस अनुबंध के खंड 26 के स्पष्टीकरण में है।
- 35 विफलता या गैर-प्रदर्शन या दिवालियेपन या प्रतिभूतिकरण के लिए ऐसे किसी प्रतिपक्ष की साख की अन्य गिरावट की स्थिति में सेवाकर्ताओं, बैंक खाता प्रदाताओं, डेरिवेटिव प्रतिपक्षों और चलनिधि प्रदाताओं के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधानों को प्रलेखित किया जाना चाहिए।
- 36 हर समय सभी प्राप्तियों, भुगतान और लेजर प्रविष्टियों पर पारदर्शिता और दृश्यता बढ़ाने के लिए, निवेशकों को निष्पादन रिपोर्ट में अंतर करना चाहिए और प्रतिभूतिकरण की आय और संवितरण की रिपोर्ट करनी चाहिए, जैसे अनुसूचित मूलधन, मोचन मूलधन, अनुसूचित ब्याज, प्रीपेड प्रिंसिपल, पिछले देय ब्याज और शुल्क, अपचारी, चूक और ऋण माफी और भुगतान छुट्टियों के तहत पुनर्गठित राशि, जिसमें मूलधन और ब्याज की कमी वाले बही-खातों के कारण होने वाली राशियों के लिए सटीक लेखांकन शामिल है।

अंतर्निहित एक्सपोजर का ऋण जोखिम

- 37 पोर्टफोलियो कट-ऑफ तिथिⁱⁱⁱ में अंतर्निहित एक्सपोजर को ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत शर्तों को पूरा करना होता है, और किसी भी पात्र ऋण जोखिम शमन को ध्यान में रखने के बाद, जोखिम भार के बराबर या उससे कम सौंपे जाने के लिए:
- ए) पोर्टफोलियो के लिए मूल्य-भारित औसत एक्सपोजर के 40% आधार पर जहां एक्सपोजर आवासीय बंधक या पूरी तरह से गारंटीकृत आवासीय ऋण द्वारा सुरक्षित ऋण हैं;
- बी) एक व्यक्तिगत एक्सपोजर के 50% आधार पर जहां एक्सपोजर एक वाणिज्यिक बंधक द्वारा संरक्षित ऋण है;

ⁱⁱⁱ तिथि के बाद जो इन निर्देशों के तहत अनुमत प्रतिनिधित्व और वारंटी के उल्लंघन के अलावा एसपीई के लिए कोई ऋण दावा या प्राप्य हस्तांतरण नहीं होगा

- सी) एक व्यक्तिगत एक्सपोजर के 75% आधार पर जहां एक्सपोजर एक खुदरा एक्सपोजर है;
या
डी) किसी भी अन्य एक्सपोजर के लिए व्यक्तिगत एक्सपोजर के 100% आधार पर

पूल के ग्रैनुलैरिटी

- 38 पोर्टफोलियो कट-ऑफ तिथि पर, एकल ओब्लिगेटर के लिए सभी एक्सपोजर का एकत्रित मूल्य पोर्टफोलियो में सभी एक्सपोजर के एकत्रित बकाया एक्सपोजर मूल्य के 1% से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि लागू अधिकतम एकत्र सीमा को 2% तक बढ़ाया जा सकता है यदि ऑरिजनैटर अधीनस्थ ट्रांच को बरकरार रखता है जो ऋण संवर्धन बनाते हैं जो नुकसान को अवशोषित कर रहे हैं, और जो कम से कम पहले 10% नुकसान को कवर करते हैं। ऑरिजनैटर द्वारा रखी गई ये ट्रांच एसटीसी कैपिटल ट्रीटमेंट के लिए पात्र नहीं होंगी ।

प्रस्ताव दस्तावेजों, सर्विसर रिपोर्ट, निवेशक रिपोर्ट आदि में प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए गैर-संपूर्ण प्रारूप

नाम/ प्रतिभूतिकरण लेनदेन की पहचान सं.:

	प्रकटीकरण की प्रकृति		ब्यौरा	राशि/प्रतिशत/वर्ष
1	अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता विशेषताएं (प्रकटीकरण की तारीख पर)	(i)	अंतर्निहित परिसंपत्तियों की भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	
		(ii)	अंतर्निहित परिसंपत्तियों का परिपक्वता-वार वितरण:	
			ए) एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों का प्रतिशत	
			बी) एक से तीन वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों का प्रतिशत	
			सी) तीन से पांच साल के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों का प्रतिशत	
			डी) पांच साल बाद परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों का प्रतिशत	
2	प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी)	(i)	आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक एमएचपी (वर्ष/ माह)	
		(ii)	क) प्रतिभूतिकरण के समय प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्ष/ महीने)	
			ख) प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की न्यूनतम और अधिकतम होल्डिंग अवधि	
3	प्रकटीकरण की तारीख को न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर)	(i)	आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियों की प्रतिभूतिकृत और प्रकटीकरण की तारीख पर बकाया परिसंपत्तियों के बही मूल्य के प्रतिशत के रूप में एमआरआर	
		(ii)	प्रतिभूतिकृत और प्रकटीकरण की तारीख पर बकाया परिसंपत्तियों के बही मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक प्रतिधारण	
		(iii)	प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के बही मूल्य के प्रतिशत में एमआरआर का गठन करने वाले बनाए गए एक्सपोजर के प्रकार (प्रतिभूतिकृत और प्रकटीकरण की तारीख पर बकाया परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य का प्रतिशत)	
			ए) ऋण संवर्धन (यानी क्या इक्विटी/अधीनस्थ ट्रांच	

			में निवेश, फर्स्ट सेकंड लॉस गारंटी, संपार्श्विक नकद, अतिसंपार्श्विकीकरण)	
			बी) सीनियर ट्रांच में निवेश	
			सी) चलनिधि सपोर्ट	
			डी) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	
		(iv)	उल्लंघन, यदि कोई हो, और उसके कारण	
4	अंतर्निहित ऋणों की ऋण गुणवत्ता	(i)	अतिदेय ऋणों का वितरण (प्रतिभूतिकरण के बाद)	
			ए) 30 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			बी) 31-60 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			सी) 61-90 दिनों के बीच अतिदेय ऋण का प्रतिशत	
			डी) 90 दिनों से अधिक अतिदेय ऋण का प्रतिशत	
		(ii)	अंतर्निहित ऋणों के पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध मूर्त प्रतिभूति का विवरण (वाहन, बंधक, आदि.)	
			ए) प्रतिभूति 1 (नाम दिया जाना है) (% रक्षित ऋण)	
			बी) प्रतिभूति 2...	
			सी) प्रतिभूति 'एन'	
		(iii)	अंतर्निहित ऋणों के लिए उपलब्ध प्रतिभूति कवर की सीमा	
			ए) पूल में शामिल पूरी तरह से रक्षित ऋण का प्रतिशत (%)	
			बी) पूल में शामिल आंशिक रूप से रक्षित ऋण का प्रतिशत (%)	
			सी) पूल में शामिल असुरक्षित ऋणों का प्रतिशत (%)	
		(iv)	अंतर्निहित ऋणों का रेटिंग-वार वितरण (यदि इन ऋणों का रेटिंग किया जाता है)	
			ए) बैंक का आंतरिक बाह्य ग्रेड ग्रेड (उच्चतम गुणवत्ता वाले आंतरिक ग्रेड को 1 के रूप में इंगित किया जा सकता है)	
			1/एएए या समकक्ष	
			2	
			3	
			4...	
			एन	
			बी) पूल की भारित औसत रेटिंग	
		(v)	अतीत में देखी गई समान पोर्टफोलियो की डिफॉल्ट दरें	

		ए) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसत डिफॉल्ट दर	
		बी) पिछले वर्ष के दौरान प्रति वर्ष औसत डिफॉल्ट दर	
	(vi)	समान पोर्टफोलियो की उन्नयन/ वसूली/ हानि दरें	
		ए) एनपीए का प्रतिशत उन्नत (पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		बी) वर्ष की शुरुआत में एनपीए के प्रतिशत के रूप में बट्टे-खाते डाली गई राशि (पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		सी) वर्ष के दौरान वृद्धिशील एनपीए के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (पिछले पांच वर्ष का औसत)	
	(vii)	आवास ऋण और वाणिज्यिक अचल संपत्ति ऋण के मामले में एलटीवी अनुपात का आवृत्ति वितरण)	
		ए) 60% से कम एलटीवी अनुपात के साथ ऋण का प्रतिशत	
		बी) 60-75% के बीच एलटीवी अनुपात के साथ ऋण का प्रतिशत	
		सी) 75% से अधिक एलटीवी अनुपात के साथ ऋण का प्रतिशत	
		डी) अंतर्निहित ऋणों का भारित औसत एलटीवी अनुपात (%)	
	(viii)	ऋण-से-आय अनुपात (डीटीआई) अनुपात का आवृत्ति वितरण, जैसा कि लागू है औरया उपलब्ध है	
		ए) 60% से कम डीटीआई अनुपात वाले ऋणों का प्रतिशत	
		बी) 60-75% के बीच डीटीआई अनुपात के साथ ऋण का प्रतिशत	
		सी) 75% से अधिक डीटीआई अनुपात के साथ ऋण का प्रतिशत	
		डी) अंतर्निहित ऋणों का भारित औसत डीटीआई अनुपात (%)	
	(ix)	पूर्व भुगतान दरें	
		ए) वर्तमान पोर्टफोलियो में पूर्व भुगतान दर	
		बी) अतीत में इसी तरह के पोर्टफोलियो में पूर्व भुगतान दर	

5	ऋण पूल की अन्य विशेषताएं	(i)	मिश्रित पूल के मामले में ऋणों का उद्योग वार ब्रेकअप (%)	
			उद्योग 1	
			उद्योग 2	
			उद्योग 3...	
			उद्योग एन	
		(ii)	ऋण पूल का भौगोलिक वितरण (राज्यवार) (%)	
			राज्य 1	
			राज्य 2	
			राज्य 3	
			राज्य 4	

* उपरोक्त प्रारूप को बेसलाइन प्रकटीकरण के रूप में माना जाना चाहिए. उत्पाद विशेषताओं और बाजार की अपेक्षा के आधार पर, ऊपर उल्लिखित वस्तुओं के अलावा पर्याप्त प्रकटीकरण, हर समय प्रतिभूतिकृत पूल की सही तस्वीर को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाना चाहिए.

ऑरिजनेटरों द्वारा लेखा नोट्स में किए जाने वाले प्रकटीकरण (कृपया एसटीसी और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग से तालिका प्रदान करें)

क्र.	विवरण	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष की समाप्ति के अनुसार	पिछले वर्ष वित्त वर्ष की समाप्ति के अनुसार
1.	ऑरिजनेटर द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट किए जाए)		
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की कुल राशि		
3.	तुलन पत्र की तारीख के अनुसार एमआरआर का अनुपालन करने के लिए ऑरिजनेटर द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि		
	ए) तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य 		
	बी) तुलनपत्र में शामिल एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य 		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		
	ए) तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> i) स्वयं की प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूति लिए एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य 		
	बी) तुलनपत्र में शामिल एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> i) स्वयं की प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूति लिए एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि 		

	• अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/ हानि		
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण प्रशचात आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य)।		
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण संवर्धन, चलनिधि सपोर्ट, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में ब्रैकेट में प्रतिशत का उल्लेख करें । ए) भुगतान की गई राशि बी) प्राप्त पुनर्भुगतान सी) बकाया राशि		
8.	अतीत में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें		(पिछले 5 वर्षों की औसत डिफॉल्ट दर का उल्लेख करें)
9.	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दी गई अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें		
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें		

(सं/ राशि करोड़ रुपये में)

एसईसी-ईआरबीए दृष्टिकोण के तहत आरडब्ल्यूए गणना का सांकेतिक चित्रण^{iv}

- अंतर्निहित ऋण प्रतिभूतिकृत किया जा रहा है: आईएनआर 2000 करोड़;
- जारी किए गए प्रतिभूतिकृत नोट्स: आईएनआर 1800 करोड़;
- अतिसंपार्शिकीकरण: 200 करोड़;
- परिपक्वता 'एम' (जैसा कि आरडब्ल्यूए गणना में उपयोग के लिए परिकल्पित किया गया है): 3 साल;
- संपर्क और अलगाव बिंदु गणना के उद्देश्य के लिए कुल अंतर्निहित पूल: 2000 करोड़;
- नीचे दी गई गणना गैर-एसटीसी प्रतिभूतिकरण के लिए प्रदर्शित की जाती है;
- एम वर्षों के बराबर परिपक्वता के लिए जोखिम भार में समायोजन = $RW_{year1} + (M-1) * \frac{(RW_{year5} - RW_{year1})}{(5-1)}$ (नीचे के कॉलम 4);
- जोखिम भार (%) = पैरा 104 में टेबल में दिया जोखिम भार (वरिष्ठ/गैर-वरिष्ठ एक्सपोजर के आधार पर) परिपक्वता के लिए समायोजित * (1- न्यूनतम (T, 50%)) (नीचे के कॉलम 5);

आरडब्ल्यूए की गणना

प्रतिभूतिकरण नोट्स (1)	ट्रांच थिकनेस का निर्धारण (2)	रेटिंग (प्रकल्पित, सांकेतिक नहीं) (3)	परिपक्वता वर्ष से जुड़े इंटरपोलिंग के बाद आरडब्ल्यू (4)	ट्रांच थिकनेस में फैक्टरिंग के बाद आरडब्ल्यू (5)	जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) [®] (6)
नोट ए (वरिष्ठ): 1500 करोड़ रुपये	संपर्क बिंदु *: (250+50+200)/2000 = 0.25 अलगाव बिंदु #: 1 (1500+250+50+200)/2000 ट्रांच थिकनेस (टी): (1-0.25) = 0.75	एए+	1 वर्ष के लिए आरडब्ल्यू = 15% 5 साल के लिए आरडब्ल्यू = 30% (तालिका से) परिपक्वता के लिए वास्तविक आरडब्ल्यू समायोजन 15% + (30-15)%*2/4 = 22.5%	वरिष्ठ ट्रांच के लिए कोई ट्रांच थिकनेस समायोजन की आवश्यकता नहीं है	1500 * 22.5% = 337.5 करोड़
नोट बी: 250 करोड़	संपर्क बिंदु : (50+200)/ 2000 = 0.125 अलगाव बिंदु : (250+50+200)/2000 = 0.25 ट्रांच थिकनेस (T): (0.25-0.125) = 0.125	एए-	1 साल के लिए आरडब्ल्यू = 40% 5 साल के लिए आरडब्ल्यू = 140% (तालिका से) परिपक्वता के लिए वास्तविक आरडब्ल्यू समायोजन 40% + (140-40)%*2/4 = 90%	90% * (1-न्यू (0.5,0.125)) = 78.75%	250 * 78.75% = 196.875 करोड़
नोट सी: 50	संपर्क बिंदु : 200/2000 =	बीबी+	1 साल के लिए आरडब्ल्यू =	525% * (1-Min	50 * 511.875%

^{iv}नए बासल मानक को अपनाने को देखते हुए, आरडब्ल्यूए गणना का एक सांकेतिक उदाहरण यहां केवल स्पष्टता के सीमित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत है। उपर्युक्त गणना प्रतिभूतिकरण संरचना या पूंजी में अन्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की आवश्यकता पर निराकरण नहीं करती है जिसे ऐसे प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए रखा जाना आवश्यक हो सकता है।

हालांकि उदाहरण पूरी तरह से काल्पनिक प्रतिभूतिकरण संरचना की सहायता लेता है, यह दोहराया जाता है कि यह प्रतिभूतिकरण के किसी भी पहलू पर किसी विनियामकीय मार्गदर्शन, वरीयता या राय का संकेत नहीं देता है, लेकिन प्रतिभूतिकरण संरचना के डिजाइन, इसकी ऋण योग्यता और रेटिंग तक सीमित नहीं है।

करोड़	0.10 अलगाव बिंदु : (50+200)/ 2000 = 0.125 ट्रांच थिकनेस (T): (0.125- 0.10) = 0.025		470% 5 साल के लिए आरडब्ल्यू = 580% (from the table) 470% + (580-470)%*2/4= 525%	(0.5,0.025) = 511.875%	= 255.94 करोड़
कुल जोखिम-भारित आस्ति					790.315 करोड़

* एक ट्रांच का संपर्क बिंदु पूल हानि का अंश है जिसके लिए यह प्रकट नहीं है

एक ट्रांच का अलगाव बिंदु पूल हानि का अंश है जिस पर यह पूरी तरह से सफाया हो गया है

एक ट्रांच का संपर्क बिंदु अगले सबसे कनिष्ठ ट्रांच का अलगाव बिंदु है।

@ आरडब्ल्यू की गणना आरबीआई विनियमित संस्थाओं के लिए प्रतिभूतिकरण नोट रखने की आवश्यकता को इंगित करती है

-
1. दिनांक 05 दिसंबर, 2022 के संशोधन द्वारा संशोधित
 2. दिनांक 05 दिसंबर, 2022 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया
 3. दिनांक 05 दिसंबर, 2022 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया